[2019] 1 एस. सी. आर. 489

एम/एस। शांति कंडक्टर (पी) लिमिटेड। & एएनआर।

वी.

ए. एस. ए. एम. राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस.

(सिविल अपील सं। 8442-8443 2016 का)

23 जनवरी, 2019

[ए. के. सिकरी, अशोक भूषण और

एस. अब्दुल नजीर, जे. जे.]

लघु सहायक को विलंबित भुगतान पर ब्याज

औद्योगिक उपक्रम अधिनियम, 1993-अधिनियम, 1993 की प्रयोज्यता जब अधिनियम के प्रवर्तन से पहले पक्षों के बीच आपूर्ति के लिए अनुबंध किया गया था अर्थात 23.09.1992-आयोजितः अधिनियम के तहत देयता की प्रयोज्यता की घटना माल की आपूर्ति या सेवा प्रदान करना है-एक समझौते में प्रवेश करना नहीं है वैधानिक योजना में स्पष्ट रूप से या निहित रूप से दायित्व को बढ़ाने के लिए एक घटना के रूप में संदर्भित किया गया है, जिससे समझौते की तारीख बन जाती है।

दायित्व अधिरोपित करने की तिथि वैधानिक के अनुरूप नहीं है

इस प्रकार, भले ही बिक्री का समझौता पहले किया गया हो

अधिनियम के प्रवर्तन की योजना, एस के तहत भुगतान करने की देयता। 3 और एस के तहत ब्याज का भुगतान करने का दायित्व। 4 यदि अधिनियम के प्रवर्तन के बाद आपूर्ति की जाती है तो उत्पन्न होगी।

लघु सहायक को विलंबित भुगतान पर ब्याज

औद्योगिक उपक्रम अधिनियम, 1993-क्या अधिनियम, 1993 को पूर्वव्यापी संचालन कहा जा सकता है-आयोजित किया गयाः अधिनियम नहीं है पूर्वव्यापी-भुगतान करने के लिए खरीदार का दायित्व और जिस दिन से भुगतान और ब्याज एस. एस. के तहत देय हो जाता है। 3 और 4 किसी भी घटना से संबंधित नहीं है जो अधिनियम, 1993 से पहले हुई थी और,

इसलिए यह कहना भी आवश्यक नहीं है कि अधिनियम, 1993 पूर्वव्यापी है। प्रवर्तन में-अधिनियम, 1993 स्पष्ट रूप से प्रवर्तन में संभावित है।

-

प्रतिगामी प्रभाव।

लघु सहायक को विलंबित भुगतान पर ब्याज

औद्योगिक उपक्रम अधिनियम, 1993 - एस. 10-सीमा-एस का प्रावधान। 10 1993 का अधिनियम "उस समय लागू किसी अन्य कानून में इसके साथ कुछ भी असंगत होने के बावजूद अधिनियम के प्रावधानों" को ओवरराइडिंग प्रभाव देता है-हालाँकि, चूंकि 1993 के अधिनियम में सीमा से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मुकदमा दायर करने से संबंधित सीमा अधिनियम जारी रहेगा।

1993 के अधिनियम के तहत कुछ भी विपरीत या अधिस्थापक नहीं है -

सीमा अधिनियम, 1963 धन वाद के संबंध में पूरी तरह से लागू है।

इसलिए अपीलार्थी द्वारा दायर की गई सीमा के प्रश्न का उत्तर सीमा अधिनियम 1963 के अनुसार दिया जाना चाहिए -

अनुसूची-सीमा अधिनियम 1963 के भाग X Art.113 द्वारा कवर किया जाएगा। - अनुसूची-गैर-बाध्य खंड का भाग X Art.113।

लघु सहायक को विलंबित भुगतान पर ब्याज

औद्योगिक उपक्रम अधिनियम, 1993। 2 (घ) ब्याज-से तिथि

जब देय हो-आयोजितः भुगतान नियुक्त व्यक्ति से देय होगा।

दिन-नियुक्त दिन को एस में परिभाषित किया गया है। 2 (घ) "अगले दिन" होना

की तारीख से 30 दिनों की अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद

किसी वस्तु या किसी वस्तु की स्वीकृति या मानित स्वीकृति का दिन

किसी भी खरीदार या आपूर्तिकर्ता से सेवा "-तत्काल मामले में, अंतिम आपूर्ति

4.10.1993 को पूरा किया गया था-इस प्रकार, नियत दिन होगा

4.11.1993 इस प्रकार जब देय राशि के संबंध में 4.11.1993 पर भुगतान नहीं किया गया था, अर्थात s के अनुसार ब्याज। 4 , सीमा

मुकदमा दायर करने के लिए Art.113 "उस समय के लिए प्रदान करता है जब से मुकदमा दायर करने का अधिकार प्राप्त होता है"

एस. 4

उल्लिखित दिन से ब्याज का भुगतान करने के लिए वैधानिक दायित्व बनाता है

एस में। 4 भुगतान करने की देयता उत्पन्न होते ही राशि देय हो जाती है। एस. 6 "खरीदार से देय राशि" शब्द का भी उपयोग करता है-इस प्रकार तथ्य

कि अंतिम भुगतान 5.3.1994 पर किया गया था, इसे अवधि नहीं माना जा सकता है।

सीमा की शुरुआत के लिए और उस आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि मुकदमा समय के भीतर था। 14 दावा नहीं किया जा सकता है

तत्काल मामले के तथ्यों में वादी द्वारा-द्वारा दायर मुकदमा

वादी को स्पष्ट रूप से समय से रोक दिया गया था।

लघु सहायक को विलंबित भुगतान पर ब्याज

जब स्वीकार किया जाता है कि पूरी मूल राशि का भुगतान दाखिल करने से पहले किया गया था मुकदमा-रखरखाव-आयोजितः रखरखाव योग्य - 1993 की धारा 6

अधिनियम में प्रावधान है कि "खरीदार से देय राशि, साथ में

एस. एस. के प्रावधान के अनुसार गणना की गई ब्याज की राशि। 4 और 5 पुनर्प्राप्त करने योग्य होंगे "- एस. 6 "एक साथ" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है

खरीदार से देय राशि के साथ ब्याज की राशि के साथ -

व्याख्या कि ब्याज की वसूली के लिए आगे बढ़ना हो सकता है केवल तभी लिया जाता है जब कोई राशि देय होती है, यदि स्वीकार की जाती है तो खरीदार मेसर्स।

शांति कंडक्टर (पी) लिमिटेड। वी. ए. एस. ए. एम. राज्य विद्युत बोर्ड

मूल राशि का भुगतान करने के बाद ही ब्याज के भुगतान से बहुत आसानी से दूर हो जाएगा-यह व्याख्या 1993 के अधिनियम के उद्देश्यों को विफल कर देगी-यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अधिनियम के प्रावधानों को

इस तरह से व्याख्या की जाए ताकि अधिनियम के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके

विधियों की व्याख्या।

लघु सहायक औद्योगिक उपक्रम अधिनियम, 1993 को विलंबित भुगतान पर ब्याज-क्या उच्च न्यायालय उस अधिनियम, 1993 को लागू नहीं करने के बाद भी समीक्षा याचिका पर विचार करते हुए वादी को विलंबित भुगतान की अवधि के लिए 9 प्रतिशत ब्याज की अनुमति दे सकता था-अभिनिर्धारित किया गयाः भले ही अधिनियम 1993 लागू न हो, न्यायालय ब्याज देने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर सकता है-उच्च न्यायालय ने वादी को 9 प्रतिशत ब्याज देने में कोई त्रुटि नहीं की-समीक्षा।

अपील-समीक्षा की रखरखाव-आयोजितः जब समीक्षा दायर करने की स्वतंत्रता आधार पर प्राप्त की गई थी, तो समीक्षा निर्णय हो सकता है

जिस आधार पर समीक्षा की अनुमति दी गई थी, उस आधार पर प्रश्न किया गया-दूसरे शब्दों में, जिस आधार पर अपीलार्थी समीक्षा निर्णय को चुनौती दे सकता है, वह आधार हो सकता है जिस पर समीक्षा दायर करने की स्वतंत्रता प्राप्त की गई थी।

शब्द और वाक्यांश-प्रतिगामी-का अर्थ। याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः

1. क्या अधिनियम, 1993 लागू नहीं होता है जब प्रवर्तन से पहले पक्षों के बीच आपूर्ति का अनुबंध किया गया था

अधिनियम का अर्थात 23.09.1992? अधिनियम, 1993 लाभकारी कानून है जो लघु उद्योगों की रक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है और वैधानिक रूप से अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करता है

बकाया धन पर ब्याज के भुगतान के लिए प्रावधान, इस व्याख्या को स्वीकार करते हुए कि समझौते का दिन अधिनियम के प्रवर्तन के बाद होना चाहिए, अधिनियम के पूरे लाभकारी संरक्षण को विफल कर दिया जाएगा। वैधानिक दायित्व का अस्तित्व धारा में उल्लिखित वैधानिक कारकों पर निर्भर करता है।

3 और अधिनियम, 1993 की धारा 4। धारा 3 के तहत भुगतान करने के लिए देयता का कारक आपूर्तिकर्ता होने के नाते किसी भी सामान की आपूर्ति करता है या खरीदार को सेवाएं प्रदान करता है, खरीदार के दायित्व को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि पक्षों [2019] 1 एस. सी. आर.

आपूर्ति के लिए अधिनियम, 1993 से पहले था। यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि भुगतान के लिए खरीदार का दायित्व केवल तभी उत्पन्न होगा जब अधिनियम के प्रवर्तन के बाद आपूर्ति के लिए समझौता किया गया था, यह धारा 3 में शब्द जोड़ना होगा जो वैधानिक निर्माण के सिद्धांतों के तहत अनुमेय नहीं है। भले ही अधिनियम के प्रवर्तन से पहले बिक्री का समझौता किया गया हो, धारा 3 के तहत भुगतान करने का दायित्व और धारा 4 के तहत ब्याज का भुगतान करने का दायित्व उत्पन्न होगा यदि आपूर्ति अधिनियम के प्रवर्तन के बाद की जाती है। [पैरा 52] [518-जी-एच; 519-ए-डी]

पुरबनचल केबल्स एंड कंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड v. असम राज्य विद्युत बोर्ड और दूसरा (2012) 7 एस. सी. सी. 462: [2012] 6 एस. सी. आर. 905-इस हद तक सही कानून नहीं है कि यह अभिनिर्धारित करता है कि अधिनियम, 1993 केवल तभी लागू होगा जब

अधिनियम के प्रवर्तन के बाद आपूर्ति आदेश दर्ज किया गया था।

असम लघु उद्योग विकास निगम लि.

और अन्य वी। जे. डी. फार्मास्युटिकल्स एंड अदर (2005) 13 एस. सी. सी. 19: [2005] 4 पूरक। एस. सी. आर. 232-सही नहीं

कानून।

अधिनियम, 1993, अधिनियम, 1993 के प्रवर्तन को पूर्वव्यापी संचालन कहा जा सकता है? कानून के संदर्भ में प्रतिगामी गतिविधि में किसी अधिनियम या लेन-देन के लिए कानून के नए नियम का अनुप्रयोग शामिल है जो नियम के लागू होने से पहले पूरा हो गया है। तत्काल मामले में भुगतान करने के लिए खरीदार का दायित्व और जिस दिन से धारा 3 और 4 के तहत भुगतान और ब्याज देय हो जाता है, वह अधिनियम, 1993 से पहले हुई किसी भी घटना से संबंधित नहीं है, यह कहना भी आवश्यक नहीं है कि अधिनियम, 1993 पूर्वव्यापी है। अधिनियम, 1993 स्पष्ट रूप से लागू होने की संभावना है और यह नहीं है

इसे संचालन में पूर्वव्यापी के रूप में वर्णित करना आवश्यक है। [पारस 57,58] [521-एफ-जी]

3. क्या मेसर्स के लिए पैसा उपयुक्त है। शांति कंडक्टरों को सीमा से रोक दिया गया था?

एम/एस। शांति कंडक्टर (पी) लिमिटेड। वी. ए. एस. ए. एम. राज्य विद्युत बोर्ड

3.1 धारा 10 में प्रावधान किया गया है कि उस समय के लिए किसी भी असंगत कानून पर अधिनियम के प्रावधानों को प्रमुख प्रभाव दिया जाता है। बल में होना। इसका सीधा सा मतलब यह था कि यदि अधिनियम के प्रावधानों के लिए किसी अन्य कानून में कुछ भी असंगत है, तो अधिनियम के प्रावधान प्रबल होंगे और किसी भी असंगत कानून पर हावी होंगे। 1993 के अधिनियम में सीमा से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है, मुकदमा दायर करने से संबंधित सीमा अधिनियम का प्रावधान जारी रहेगा।

1993 के अधिनियम के तहत कुछ भी विपरीत या अधिस्थापक नहीं है। धारा 10 केवल व्यक्त किए गए प्रावधानों के संबंध में काम करेगी।

1993 के अधिनियम में निहित, जिसे अधिस्थापक प्रभाव दिया जाएगा, लेकिन धारा 10 को इस प्रभाव से पढ़ना कि यह सीमा अधिनियम को ओवरराइड करेगी, धारा 10 की सही व्याख्या नहीं है और निचली अदालत यह अभिनिर्धारित करने में धारा 10 पर भरोसा करने में त्रुटि में पड़ गई कि सीमा अधिनियम लागू नहीं होगा। इस प्रकार, सीमा अधिनियम, 1963 अपीलार्थी द्वारा दायर धन मुकदमे के संबंध में पूरी तरह से लागू होता है, इसलिए सीमा अधिनियम 1963 के अनुसार सीमा के प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए। द.

3.2 अनुच्छेद 113 के तहत मुकदमा दायर करने के लिए सीमा शुरू करने की अवधि "तब शुरू होती है जब मुकदमा दायर करने का अधिकार प्राप्त होता है"। 1993 के अधिनियम की धारा 4 उस तारीख और दर से संबंधित है जिस पर ब्याज देय है। धारा 4 में यह अभिव्यक्ति है कि जहाँ " कोई भी खरीदार धारा 3 के तहत आपूर्तिकर्ता को आवश्यक राशि का कोई भी भुगतान करने में विफल रहता है. निर्धारित दिन पर या सहमति की तारीख के तुरंत बाद की तारीख से आपूर्तिकर्ता को उस राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

जब पक्षों के बीच भुगतान की कोई सहमत तिथि नहीं होती है, तो भुगतान नियत दिन से देय हो जाएगा। धारा 2 (डी) में नियुक्त दिवस को "स्वीकृति की तारीख से 30 दिनों की अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद का दिन या किसी भी खरीदार या आपूर्तिकर्ता से किसी भी वस्तु या किसी भी सेवा की मानित स्वीकृति का दिन" के रूप में परिभाषित किया गया है। तत्काल मामले में, अंतिम आपूर्ति 04.10.1993 पर प्राप्त हुई थी, इसलिए, कम से कम

अवधि तब शुरू होती है जब मुकदमा करने का अधिकार प्राप्त होता है। 1993 अधिनियम अनुभाग 4 धारा 4 में उल्लिखित दिन से ब्याज का भुगतान करने के लिए वैधानिक दायित्व पैदा करता है, भुगतान करने का दायित्व खरीदार पर निर्धारित किया जाता है।

19] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भुगतान करने की देनदारी उत्पन्न होते ही राशि देय हो जाती है। धारा 6 में "खरीदार से देय राशि" शब्द का भी उपयोग किया गया है। देय राशि वह राशि है जो धारा 4 के तहत खरीदार द्वारा भुगतान की जानी है। इस प्रकार यह तथ्य कि अंतिम भुगतान 05.03.1994 पर किया गया था, सीमा की शुरुआत के लिए अवधि के रूप में नहीं माना जा सकता है और उस आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि मुकदमा समय के भीतर था। इस प्रकार, वर्तमान मामले के तथ्यों में वादी द्वारा धारा 14 के लाभ का दावा नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, वादी द्वारा दायर मुकदमे को समय से रोक दिया गया था। [पारस 71,72,74,76] [507-एफ-एच, 528-ए, सी, डी-ई; 529-ए]

4. क्या अपीलार्थियों द्वारा वसूली के लिए दायर किया गया मुकदमा

केवल ब्याज को बनाए रखने योग्य कहा जा सकता है जब मुकदमा दायर करने से पहले पूरी मूल राशि का भुगतान किया गया था?

1993 के अधिनियम की धारा 6 में प्रावधान है कि "देय राशि

खरीदार से, धारा 4 और 5 के प्रावधान के अनुसार गणना की गई ब्याज की राशि के साथ

पुनर्प्राप्त करने योग्य..... " यह व्याख्या कि ब्याज की वसूली के लिए कार्यवाही केवल तभी की जा सकती है जब कोई राशि देय हो, यदि स्वीकार की जाती है तो खरीदार मूल राशि का भुगतान करने के बाद ही ब्याज के भुगतान से बहुत आसानी से दूर हो जाएगा। यह व्याख्या 1993 के अधिनियम के उद्देश्यों को विफल कर देगी। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए ताकि अधिनियम के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके। [पैरा 79] [529-एफ-जी]

पुरबनचल केबल्स एंड कंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड v.

असम राज्य विद्युत बोर्ड और दूसरा (2012) 7 एस. सी. सी.

462 : [2012] 6 एस. सी. आर. 905-पुष्टि की गई (उस मुकदमे को देखें केवल ब्याज की वसूली के लिए आपूर्तिकर्ता रखरखाव योग्य है

पूरी तरह से स्वीकृत है)

5. क्या मैसर्स ट्रस एंड टावर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपील दायर की गई है।

लिमिटेड द्वारा दिनांक 19.03.2003 के समीक्षा निर्णय को चुनौती देने पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस न्यायालय द्वारा 2001 के SLP (C) No.12217 में कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई थी जब उच्च न्यायालय के दिनांक 05.04.2001 के मुख्य निर्णय के खिलाफ दायर SLP को वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया था?

बोर्ड को वकील का प्रस्तुतिकरण यह है कि जब से

उच्च न्यायालय के दिनांक 15.4.2001 के फैसले के खिलाफ, एस. एल. पी. को स्वतंत्रता प्राप्त किए बिना वापस ले लिया गया था, समीक्षा आदेश और दिनांक 19.3.2003 के फैसले को चुनौती देने वाली अपील विचारणीय नहीं है।

एम/एस। शांति कंडक्टर (पी) लिमिटेड। वी. ए. एस. ए. एम. राज्य विद्युत बोर्ड

इस न्यायालय द्वारा 6.8.2001 पर पारित आदेश में, इस न्यायालय ने अपीलार्थी के इस निवेदन पर ध्यान दिया था कि अपीलार्थी समीक्षा में उच्च न्यायालय का रुख करेगा, जिसमें कहा गया है कि उसने यह दर्ज करने में त्रुटि की है कि "सभी बिलों का भुगतान पहले किया गया था।

इस अधिनियम का प्रारंभ "। समीक्षा याचिका में, समीक्षा को आंशिक रूप से 9 प्रतिशत की दर से ब्याज की अनुमति दी गई है, जिसके खिलाफ अपील दायर की गई है। समीक्षा निर्णय के अवलोकन से संकेत मिलता है कि उच्च न्यायालय ने कोई निष्कर्ष नहीं दिया है कि अधिनियम के प्रारंभ से पहले सभी बिलों का भुगतान नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय के फैसले का अवलोकन इंगित करता है कि उच्च न्यायालय इस धारणा पर आगे बढ़ें कि भले ही 1993 का अधिनियम लागू न हो, वादी की पात्रता को इक्विटी में माना जा सकता है। जब समीक्षा दाखिल करने की स्वतंत्रता आधार पर प्राप्त की गई थी जैसा कि आदेश में देखा गया है तो समीक्षा निर्णय पर सवाल उठाया जा सकता है -

किस आधार पर समीक्षा की अनुमति दी गई थी। डिवीजन बेंच के फैसले से यह संकेत नहीं मिलता है कि यह अपीलार्थी द्वारा तर्क दिए गए आधार पर आगे बढ़ता है और इस न्यायालय द्वारा इस पर ध्यान दिया गया है

06.08.2001 . 9 प्रतिशत के ब्याज की अनुमति इस आधार पर दी गई थी कि 1993 का अधिनियम लागू नहीं है और कहा गया है कि पहले के फैसले के आधार पर इक्विटी पर ब्याज की अनुमति है। इस प्रकार, समीक्षा निर्णय को चुनौती देने वाली तत्काल अपील पर विचार नहीं किया जा सकता है। जिस आधार पर अपीलार्थी समीक्षा निर्णय को चुनौती दे सकता है, वह आधार हो सकता है जिस पर समीक्षा दायर करने की स्वतंत्रता प्राप्त की गई थी। अतः अपील विचारणीय नहीं है। [पारस 80-82] [530-A-F]

6. क्या उच्च न्यायालय यह व्यक्त करने के बाद भी कि अधिनियम, 1993 लागू नहीं है, 9 प्रतिशत ब्याज की अनुमति दे सकता था

वादी?

उच्च न्यायालय ने विलंबित भुगतान की अवधि के लिए प्रति वर्ष 9 प्रतिशत की दर से ब्याज की अनुमति दी। भले ही अधिनियम 1993 लागू न हो,

न्यायालय ब्याज देने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का बहुत अच्छी तरह से प्रयोग कर सकता है। उच्च न्यायालय ने वादी प्रतिवादी को 9 प्रतिशत ब्याज देने में कोई त्रुटि नहीं की। [पारस 83,84] [531-ए, ई-एफ]

शक्ति ट्यूब लिमिटेड बनाम। बिहार राज्य और अन्य (2009) 7 एससीसी 673: [2009] 10 एस. सी. आर. 739; आधुनिक उद्योग बनाम भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (2010) 5 एस. सी. सी. 44: [2010] 4 एस. सी. आर. 560; स्टेट बैंक का कर्मचारी संघ (मद्रास सर्कल)

वी. भारत संघ और ओआरएस। (2005) 7 एससीसी 584: [2005] 3 पूरक। एस. सी. आर. 200; जय महाकाली रोलिंग मिल्स बनाम।

भारत और अन्य (2007) 12 एस. सी. सी. 198 [2007] 8 एससीआर 855-संदर्भित

मामला कानून संदर्भ

[2005] 4 पूरक। एससीआर 232

सही कानून नहीं

पै

रा 20

[2009] 10 एससीआर 739

संदर्भित किया गया है

पै

रा 20

[2010] 4 एससीआर 560

पै

रा 20

संदर्भित किया गया है

[2005] 3 पूरक। एससीआर 200

संदर्भित किया गया है

पै

रा 55

[2012] 6 एससीआर 905

सही कानून नहीं

पै

रा 52

[2007] 8 एससीआर 855

संदर्भित किया गया है

पै

रा 56

[2012] 6 एससीआर 905

पुष्टि की

पै

रा 79

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 8442

8443 2016 से।

20.11.2012 और 20.12.2012 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2000 के आर. एफ. ए. सं. 66 और 2012 के एम. सी. 3472 में गुवाहाटी में गुवाहाटी उच्च न्यायालय से।

के साथ

सिविल अपील सं। 8445 , 8448 , 8450 2016 से। अजीत कुमार सिन्हा, बसव प्रभु एस. पाटिल, नवनीति प्रसाद सिंह,

विजय हंसारिया, वरिष्ठ अधिवक्ता। , देवाशीष भारुका, रवि भारुका, सुश्री सर्वश्री सिंह, जस्टिन जॉर्ज, अक्षय अमृतांशु, वैभव नीति, सुश्री मोहिनी प्रिया, सुश्री अलंकृता सिन्हा, सुश्री स्नेहा कालिता, ए. पांडे, पी. आई. जोस, दुष्यंत पराशर, राघवेंद्र एस. श्रीवत्स, वेंकिता सुब्रमण्यम टी. आर., अजय सिंह, आर. बंसल, सुश्री आभा आर. शर्मा,

डी. एस. परमार, सुजीता श्रीवास्तव, महेंद्र सिंह, आर. एस. द्विवेदी, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अशोक भूषण, जे. 1. ये याचिकाएं दायर की गई हैं।

गुवाहाटी उच्च न्यायालय के फैसले पर सवाल उठाते हुए, जिसके द्वारा असम राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा दायर नियमित प्रथम अपील के फैसले को मूल वाद कार्यवाही में अपीलार्थियों के पक्ष में निचली अदालत द्वारा पारित फैसले और डिक्री को दरकिनार करने की अनुमति दी गई है। यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त होगा कि

सी. ए. सं. में अभिवचन। 8442-8443 सामान्य एम/एस तय करने के लिए 2016 का।

शांति कंडक्टर (पी) लिमिटेड। वी. असम राज्य विद्युत बोर्ड [अशोक भूषण, जे.]

इन सभी अपीलों में शामिल कानून के प्रश्न। अन्य अपीलों में तथ्यों और अभिवचनों पर भी संक्षेप में ध्यान दिया जाएगा।

2016 का C.A.Nos.8442-8443

(एम/एस। शांति कंडक्टर (पी) लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम असम राज्य

विद्युत बोर्ड और अन्य)

2. अपीलार्थी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो विद्युत उत्पादन के लिए एक लघु औद्योगिक इकाई के रूप में पंजीकृत है।

कोकराझाड़, असम में कंडक्टर और/या तार। 31.03.1992 पर, प्रतिवादी-असम राज्य विद्युत बोर्ड ने अपीलकर्ताओं-मेसर्स शांति कंडक्टर प्राइवेट से एल्यूमीनियम विद्युत कंडक्टरों की आपूर्ति के लिए एक आदेश दिया। लिमिटेड रु. के कुल विचार के लिए। 1.22 करोड़। आपूर्ति जून और दिसंबर, 1992 के बीच की जानी थी। 13.05.1992 पर, विद्युत बोर्ड द्वारा मेसर्स शांति कंडक्टरों को विभिन्न प्रकार के कंडक्टरों की आपूर्ति के लिए एक और आदेश दिया गया था। 32.49 लाख। उपरोक्त वस्तुओं की आपूर्ति जनवरी और फरवरी, 1993 के बीच की जानी थी। आई. डी. 1 पर, भारत के राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया, जिसका नाम है, लघु सहायक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित भुगतान पर ब्याज।

अध्यादेश, 1992। तत्पश्चात, आई. डी. 1 पर लघु और सहायक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित भुगतान पर ब्याज अधिनियम, 1993 (संक्षेप में "अधिनियम") अधिनियमित किया गया था और इसे 23.09.1992 से प्रभावी माना गया था। इस बीच, उपकरणों की आपूर्ति

उपरोक्त खरीद आदेश मेसर्स शांति कंडक्टर द्वारा 04.10.1993 पर पूरा किया गया था। 05.03.1994 पर, रुपये का पूरा भुगतान। 2.15 मेसर्स शांति कंडक्टर्स को उपरोक्त आपूर्ति आदेशों के खिलाफ करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। 3. 10.01.1997 पर, M/s। शांति कंडक्टरों ने रुपये की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया। देरी से भुगतान पर ब्याज का दावा करने वाले 53.68 लाख। असम

विद्युत बोर्ड (इसके बाद "बोर्ड" के रूप में संदर्भित) ने सीमा की याचिका को उठाते हुए अपना लिखित बयान दायर किया और तर्क दिया कि अधिनियम अपीलार्थी के मामले में लागू नहीं होता है क्योंकि अनुबंध समाप्त हो गया था।

अधिनियम, 1993 के अधिनियमन से पहले। निचली अदालत ने 02.02.2000 पर 23.75% p. a. की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ Rs.51,60,507.42 की राशि की वसूली के लिए मुकदमे का फैसला सुनाया। बोर्ड ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष 2000 की नियमित प्रथम अपील No.66 दायर की। आर. एफ. ए. की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की खंड पीठ का विचार था कि [2019] 1 एस. सी. आर.

कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे विचार के लिए उत्पन्न होते हैं, मामले को पूर्ण पीठ को भेज दिया। पूर्ण पीठ ने कानून के निम्नलिखित प्रश्नों को तैयार कियाः

उपक्रम अधिनियम, 1993 बनाए रखने योग्य है?
(ii) क्या वर्तमान मामले में ब्याज की वसूली के लिए मुकदमा है।

iii) क्या लघु और सहायक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित भुगतान के तहत ब्याज की वसूली के लिए मुकदमा अधिनियम , 1993 बनाए रखने योग्य नहीं होगा यदि आपूर्तिकर्ता द्वारा अधिनियम के तहत वसूली ब्याज के अधिकार को बनाए रखते हुए कोई आरक्षण नहीं किया जाता है, जब मूल राशि का भुगतान स्वीकार किया जाता है/किया जाता है, हालांकि ये निर्धारित अवधि से परे किए जा सकते हैं?

4. उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने अपने दिनांकित 05.03.2002 के फैसले के माध्यम से इस संदर्भ का जवाब देते हुए कहा कि ब्याज के लिए मुकदमा दायर किया जा सकता है। इसने आगे कहा कि अधिनियम, 1993 23.09.1992 से पहले किए गए अनुबंधों पर भी लागू होता है। इसने अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम के तहत ब्याज की गणना 23.09.1992 से तब तक की जाएगी जब तक कि आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं किया जाता है। बोर्ड ने इस न्यायालय में 2003 का सी. ए. <आई. डी. 1 होने के कारण पूर्ण पीठ के दिनांकित 05.03.2002 के फैसले के खिलाफ अपील दायर की।

(असम राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य बनाम शांति कंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य)। बोर्ड द्वारा दायर अपील की सुनवाई 2003 के एक अन्य C.A.No.2348 (पुरबनचल केबल्स एंड कंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड बनाम असम राज्य विद्युत बोर्ड और एक अन्य) के साथ की गई थी। इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने दोनों अपीलों का निर्णय दिनांक 1 के सामान्य निर्णय के माध्यम से किया, जो निर्णय (2012) 7 एस. सी. सी. 462 (पुरबनचल केबल्स एंड कंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड बनाम एस. सी. सी. 462) में दिया गया है।

असम राज्य विद्युत बोर्ड और एक अन्य)। इस न्यायालय के पहले के निर्णयों पर भरोसा करते हुए दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अधिनियम, 1993 के तहत केवल ब्याज की वसूली के लिए मुकदमा बनाए रखा जा सकता है। इसने आगे कहा कि अधिनियम, 1993 का कोई पूर्वव्यापी अनुप्रयोग नहीं है। इसने आगे कहा कि आपूर्तिकर्ता को अधिनियम के संदर्भ में केवल उस तारीख के बाद किए गए बिक्री समझौतों के संबंध में उच्च ब्याज दर का दावा करने का उपार्जित अधिकार है।

अधिनियम का प्रारंभ अर्थात 23.09.1992। 2000 के आर. एफ. ए. आर. एफ. ए. आर. एफ. ए.

शांति कंडक्टर (पी) लिमिटेड। वी. असम राज्य विद्युत बोर्ड [अशोक भूषण, जे.]

इसके निर्णय दिनांक 20.11.2012 को देखें। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने विवादित फैसले से बोर्ड की अपील को स्वीकार कर लिया है। डिवीजन बेंच ने पुरबनचल केबल्स एंड कंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड में इस अदालत के फैसले के बाद कहा कि अधिनियम, 1993 अधिनियम, 1993 के प्रवर्तन से पहले किए गए अनुबंध पर लागू नहीं होगा। पार्टियों के बीच अनुबंध से पहले अधिनियम के प्रवर्तन, बोर्ड द्वारा दायर अपील को इस प्रकार निचली अदालत के फैसले और डिक्री को दरकिनार करते हुए अनुमति दी गई थी। डिवीजन बेंच द्वारा 20.12.2012 दिनांकित एक बाद का आदेश भी पारित किया गया था जिसमें Rs.38,03,381/- की राशि वापस करने का निर्देश दिया गया था। दोनों फैसलों से व्यथित

गुवाहाटी उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित दिनांक 20.11.2012 और 20.12.2012,2016 की सिविल अपील Nos.8442-8443 अपीलार्थियों द्वारा दायर की गई है।

2016 का C.A.No.8445 (एम/एस। ट्रस एंड टावर्स (पी) लिमिटेड बनाम असम राज्य विद्युत बोर्ड और एन. आर.)

5. बोर्ड ने पूर्व-दबाव वाले सीमेंट कंक्रीट के खंभों की आपूर्ति के लिए अपीलार्थी को 17.02.1992 और 17.03.1992 दिनांकित दो आदेश दिए।

पार्टियों के बीच 10.06.1992 दिनांकित लिखित अनुबंध किया गया था। अपीलार्थी द्वारा 30.03.1992 से 30.09.1992 की अवधि के दौरान बोर्ड को डंडे की आपूर्ति की गई थी। 23.04.1993 से 08.10.1993 के बीच भी भुगतान किया गया था। अपीलार्थी ने अधिनियम, 1993 के अनुसार विलंबित भुगतान की राशि के लिए ब्याज के साथ 16.05.1994,55,623/- के डिक्री की मांग करते हुए बोर्ड के खिलाफ मुकदमा दायर किया। निचली अदालत ने अपने दिनांक 15.06.1995 के फैसले के माध्यम से मुकदमे का फैसला सुनाया। बोर्ड ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ नियमित प्रथम अपील दायर की। 05.04.2001 पर, उच्च न्यायालय ने बोर्ड द्वारा दायर नियमित प्रथम अपील की अनुमति दी। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी द्वारा उठाए गए सभी विधेयकों को अधिनियम, 1993 के प्रारंभ से पहले बोर्ड द्वारा पारित कर दिया गया था। इसके अलावा, अपीलार्थी मूल राशि प्राप्त करने के बाद ब्याज के लिए मुकदमा नहीं कर सकता था। वहाँ था।

अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि अपीलार्थी को विरोध के तहत प्रश्नगत राशि प्राप्त हुई है। अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के दिनांक 05.04.2001 के फैसले के खिलाफ SLP (C) No.12217/2001 दायर किया। निम्नलिखित आदेश द्वारा इस न्यायालय द्वारा एसएलपी को वापस लेने की अनुमति दी गई थीः

" याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने विशेष अनुमति याचिका को वापस लेने के लिए अनुमति मांगी है। उन्होंने कहा कि वह समीक्षा के लिए उच्च न्यायालय का रुख करेंगे, यह कहते हुए कि उसने यह दर्ज करने में गलती की है कि "सभी बिलों का भुगतान किया गया था और अधिनियम के प्रारंभ से पहले ही उन्हें मंजूरी दे दी गई थी।" विशेष अनुमति याचिका को तदनुसार वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया जाता है। "[2019] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. अपीलार्थी ने 2001 का समीक्षा आवेदन No.75 दाखिल किया। उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से समीक्षा याचिका को आंशिक रूप से इस हद तक स्वीकार कर लिया कि अपीलार्थी को विलंबित भुगतान की अवधि के लिए 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का हकदार माना गया था।

उक्त निर्णय से व्यथित अपीलार्थी ने C.A.No.8445 दायर किया है।

2016 से।

2016 का C.A.No.8448 (असम राज्य विद्युत बोर्ड और ए. एन. आर. बनाम। ट्रस एंड टावर्स (पी) लिमिटेड)

7. बोर्ड द्वारा मेसर्स द्वारा दायर 2001 की समीक्षा याचिका No.75 में आदेश के खिलाफ उपरोक्त अपील दायर की गई है। ट्रस एंड टावर्स (पी)

लिमिटेड, जिसके आदेश से उच्च न्यायालय ने समीक्षा याचिका को आंशिक रूप से इस हद तक अनुमति दी है कि अपीलार्थी को 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का हकदार माना गया था, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। 9 प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज अनुदान से व्यथित बोर्ड इस अपील में आया है।

2016 का C.A.No.8450 (एम/एस। ब्रह्मपुत्र कंक्रीट पाइप उद्योग बनाम असम राज्य विद्युत बोर्ड)

8. बोर्ड ने अपीलार्थी को पूर्व-दबाव वाले सीमेंट कंक्रीट के खंभों के लिए 17.02.1992 और 17.03.1992 दिनांकित दो आपूर्ति आदेश दिए। Rs.23,04,585.90 के भुगतान को बोर्ड द्वारा रोक दिया गया था। हालांकि, मूल राशि का भुगतान 23.04.1993 से शुरू किया गया था और पूरी राशि का भुगतान 18.12.1993 तक किया गया था। अपीलार्थी ने राशि की वसूली के लिए धन मुकदमा No.32/1996 दायर किया।

ब्याज के साथ Rs.10,03,466.23। दीवानी न्यायाधीश ने ब्याज और लागत के साथ 5,46 रुपये की राशि के लिए 30.09.2002 दिनांकित आदेश द्वारा No.32/1996 का फैसला सुनाया है। बोर्ड ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ 2003 का आर. एफ. ए. No.78 दायर किया। उच्च न्यायालय ने दिनांक 12.02.2005 के फैसले के माध्यम से बोर्ड द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और अपीलार्थी द्वारा दायर मुकदमे को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने पुरबनचल केबल्स के फैसले पर भरोसा किया और

कंडक्टर (पी) लिमिटेड ने अभिनिर्धारित किया कि 23.09.1992 से पहले हुए लेन-देन के संबंध में अधिनियम, 1993 की कोई प्रयोज्यता नहीं है। दिनांकित 12.02.1015 निर्णय के विरुद्ध। अपील NO.8448/2016 दायर की गई है। 9. हमने श्री अजीत कुमार सिन्हा, श्री बसव प्रभु एस. पाटिल और श्री नवनीति प्रसाद सिंह, विद्वान वरिष्ठ वकील को पेश होते हुए सुना है।

अपीलार्थियों के लिए। असम राज्य विद्युत बोर्ड की ओर से वरिष्ठ वकील श्री विजय हंसारिस पेश हुए।

[/ एस. शांति कंडक्टर (पी) लिमिटेड। वी. असम राज्य विद्युत बोर्ड [अशोक भूषण, जे.]

10. इन सभी अपीलों की सुनवाई न्यायमूर्ति वी. गोपाल गौड़ा और न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की दो सदस्यीय पीठ ने की।

पीठ के माननीय न्यायाधीशों ने दिनांकित अलग राय दी

. 2016 . फैसले के पैराग्राफ 28 में कानून के निम्नलिखित प्रश्नों पर ध्यान दिया गया हैः

" (i) क्या अधिनियम के प्रावधान पूर्वगामी प्रकृति के हैं?

(ii) क्या मामले के इस पहलू पर विचार न करना आधुनिक उद्योग (ऊपर) और पुरबनचल केबल्स एंड कंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड में इस न्यायालय के निर्णयों को प्रस्तुत करता है। लिमिटेड (ऊपर) सब साइलेन्टियो के रूप में?

(iii) क्या पूर्वांचल केबल्स में दिया गया निर्णय और

कंडक्टर्स प्रा. लिमिटेड (सुप्रा) तत्काल न्यायपालिका के रूप में काम करता है।

मामला?

(iv) क्या अपीलार्थियों द्वारा दायर किया गया मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित है?

v) क्या 2013 की सिविल अपील @एसएलपी (सी) No.15274 (मेसर्स ट्रस एंड टावर्स प्राइवेट लिमिटेड) में संबंधित मामले में समीक्षा के खिलाफ अपील की गई है। लिमिटेड) रखरखाव योग्य है? vi) कौन सा आदेश?

11. अधिनियम, 1993 की धारा 3,4,5 से निम्नलिखित राय से निपटना

न्यायमूर्ति गौड़ा द्वारा व्यक्त किया गयाः

" 44.इस अधिनियम को छोटे और सहायक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया था, जो अनियमित और विलंबित भुगतान के परिणामस्वरूप पीड़ित थे। अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण का अवलोकन, जिसके प्रासंगिक हिस्से को ऊपर निकाला गया है, यह स्पष्ट करता है कि लघु उद्योग कार्यशील पूंजी की कमी के परिणामस्वरूप पीड़ित थे, जो ऐसे उद्योगों के आर्थिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा था।

यह महसूस किया गया कि बकाया राशि का शीघ्र भुगतान करना समय की आवश्यकता है। इस संदर्भ में अधिनियम की धारा 3,4,5 के प्रावधान महत्वपूर्ण हैं। अधिक इस तथ्य के आलोक में कि अधिनियम की धारा 2 के परिभाषा खंड में, विधायिका

'लेन-देन' या 'आपूर्ति आदेश' शब्दों को परिभाषित नहीं किया है। इसने अन्य बातों के साथ-साथ केवल 'नियत दिन', 'खरीदार' और 'आपूर्तिकर्ता' शब्दों को परिभाषित करने का विकल्प चुना। चूँकि अधिनियम का ध्यान विलंबित भुगतान पर है, जो 'नियत दिन' शब्द की परिभाषा के अनुरूप भी है, इसलिए [2019] 1 एस. सी. आर. कब होगा, इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

' लेन-देन 'आपूर्ति आदेश' में या उसकी तारीख में दर्ज किया गया था।

अधिनियम की धारा 3 स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि खरीदार का दायित्व

आपूर्तिकर्ता द्वारा माल की आपूर्ति के बाद उपार्जित भुगतान करना या

खरीदार को कोई भी सेवा प्रदान करना। इस प्रकार, क्या परिकल्पना की गई थी

विधायिका के रूप में विलंबित भुगतान बकाया का भुगतान था

माल की आपूर्ति के बाद आपूर्तिकर्ता को देय धन, और सहमति की तारीख या मानी गई स्वीकृति की तारीख के बाद। ए.

खंड के नंगे पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रवेश करने की तारीख समझौते में या आपूर्ति आदेश की तारीख में नहीं थे

कोई फर्क नहीं पड़ता कि अनुबंध कब किया गया था, जब तक कि अधिनियम के लागू होने के बाद माल की आपूर्ति हुई थी

23.09.1992 . यह उस अर्थ में है कि पूर्वव्यापी का प्रश्न

अधिनियम का अनुप्रयोग बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होता है। यह आगे समर्थित है।

अधिनियम की धारा 4 में अबाधित खंड के उपयोग द्वारा। 45. पुनरावृत्ति की कीमत पर, अधिनियम की धारा 4 निकाली जाती है।

इसके अलावाः

" 4.किस तारीख और किस दर पर ब्याज देय है। जहाँ कोई खरीदार राशि का भुगतान करने में विफल रहता है

धारा 3 के तहत आवश्यकतानुसार आपूर्तिकर्ता, खरीदार -

के बीच किसी भी समझौते में निहित कुछ भी होने के बावजूद

खरीदार और आपूर्तिकर्ता या किसी भी कानून में

बल, उस राशि पर आपूर्तिकर्ता को ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो

नियत दिन से या, जैसा भी मामला हो, तारीख से

सहमत तिथि के तुरंत बाद, डेढ़ बजे

स्टेट बैंक द्वारा प्रभारित प्रमुख ऋण दर का समय भारत

"।

(जोर दिया गया)

"समझौता" शब्द से पहले गैर-बाध्यकारी खंड का उपयोग

यह भी स्पष्ट करता है कि एक बार पैसा देय हो जाता है, जो है

आपूर्तिकर्ता कोई फर्क नहीं पड़ता कि समझौते में क्या शामिल है खरीदार और आपूर्तिकर्ता।

46.इसके अलावा, पूर्वव्यापीता के मुद्दे पर भी, क्या आवश्यक था

उपरोक्त मामलों में इस न्यायालय द्वारा जांच की जानी थी कि क्या एम/एस।

शांति कंडक्टर (पी) लिमिटेड। वी. असम राज्य विद्युत बोर्ड [अशोक भूषण, जे.]

अधिनियम की धारा 3,4,5 और 6 के प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों को पढ़कर एक निहित वैधानिक अधिकार प्रदान किया जाता है। जैसा कि मैं पहले ही मान चुका हूं कि अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान पूर्वव्यापी प्रकृति के हैं, इसलिए पुरबनचल केबल्स एंड कंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड में इस पहलू पर विचार नहीं किया गया है। लिमिटेड (उपर्युक्त) और उसमें उल्लिखित मामले, इस प्रश्न पर उक्त निर्णय को उप-मौन प्रस्तुत करते हैं। द.

इस संबंध में विद्युत बोर्ड की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विजय हंसारिया द्वारा प्रस्तुत तर्क नहीं हो सकता है।

स्वीकार किया जाए। "

12. यह भी कहा गया कि इस न्यायालय ने पुरबनचल केबल्स एंड कंडक्टर (पी) लिमिटेड मामले के महत्वपूर्ण पहलू पर विचार नहीं किया।

इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अधिनियम के प्रावधान पूर्वगामी हैं या नहीं। मुद्दा संख्या 1 और 2 का उत्तर अपीलार्थी के पक्ष में दिया गया। अपीलार्थी के पक्ष में अन्य मुद्दों का भी जवाब दिया गया। पैराग्राफ 56 और 57 में, न्यायमूर्ति गौड़ा द्वारा निम्नलिखित तरीके से अपीलों की अनुमति दी गई थीः

" 56. ऊपर बताए गए कारणों के लिए, मैं ऊपर बताए गए अपीलार्थियों के पक्ष में इन अपीलों में बनाए गए बिंदुओं का जवाब देता हूं। द.

तदनुसार अपीलों की अनुमति दी जाती है। सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया जाता है। 57. एस. एल. पी. (सी) सं. से उत्पन्न सिविल अपीलों में। 9924-9925 2013 के 17.02.2015 के आदेश के अनुसार, अपीलकर्ता मैसर्स शांति कंडक्टरों को Rs.38,70,000/- की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

उत्तरदाताओं को लौटें। प्रत्यर्थी छह सप्ताह के भीतर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अपीलार्थियों को राशि वापस कर देंगे। इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से।

13. एक अन्य माननीय न्यायाधीश, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, जिन्होंने अलग राय दी, न्यायमूर्ति गौड़ा की राय से असहमत थे। जबकि

न्यायमूर्ति गौड़ा की राय से असहमत होते हुए पैराग्राफ 77,78,79 और 80 में कहा गया थाः

" 77. इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि 1993 के अधिनियम को पूर्वव्यापी नहीं कहा जा सकता है। संचालन में या पूर्वव्यापी संचालन में। सवाल का जवाब सकारात्मक रूप से संदेह से परे है और निर्णय एक समन्वित पीठ पर बाध्यकारी हैं। यह नहीं कहा जा सकता है कि निर्णय किसी भी तरह से मौन या आकस्मिक हैं और मेरी राय में, यह अलग राय लेने के लिए समन्वित पीठ के लिए खुला नहीं है। अर्थ [2019] 1 एस. सी. आर. के संबंध में कोई भ्रम नहीं है।

लेन-देन, आपूर्ति आदेश और समझौता। यह न्यायालय उपरोक्त मामलों का निर्णय लेते समय लाभकारी विधान के उद्देश्यों और उद्देश्यों से अनजान नहीं था, जिन्हें समान माना जाता है और इसने सभी पहलुओं पर पृष्ठ 104 को सकारात्मक रूप से स्पष्ट किया है। इसलिए, मुझे एक ही क्षेत्र में आगे रहने की कोई गुंजाइश नहीं मिलती है ताकि विभिन्न निर्णयों को उप-मौन घोषित किया जा सके।

78. अन्यथा भी, गुण-दोष के आधार पर, मेरी राय में, अधिनियम की योजना पर विचार करते हुए, अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को पूर्वव्यापी संचालन या पूर्वव्यापी संचालन नहीं कहा जा सकता है और जहां अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पहले आपूर्ति आदेश दिया गया है, यानी 23.9.1992 से पहले, उच्च ब्याज के संबंध में अधिनियम के लाभकारी प्रावधान लागू नहीं होंगे। 79. अपीलार्थी मेसर्स के मामले में। शांति कंडक्टर (पी) लिमिटेड ने स्वयं निर्णय लिया है कि उपरोक्त निष्कर्षों को इस न्यायालय द्वारा योग्यता के आधार पर निर्णय के लिए उच्च न्यायालय को भेजते हुए पूर्वांचल केबल्स (उपरोक्त) के साथ दर्ज किया गया है क्योंकि उसी से उत्पन्न एक अपील उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थी और उच्च न्यायालय ने मेसर्स के साथ पूर्वांचल केबल्स एंड कंडक्टर (उपरोक्त) में निर्णय का सही ढंग से पालन किया है। शांति कंडक्टर (पी) लिमिटेड रिमांड आदेश में इस न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष अंतिम है और अपीलार्थी-मेसर्स पर बाध्यकारी है। शांति कंडक्टर (पी) लिमिटेड वे तत्काल अपीलों में फिर से इस पर सवाल नहीं उठा सकते। पृष्ठ 105 105

80. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अपीलों में कोई योग्यता नहीं है और वे खारिज किए जाने के योग्य हैं और एतद्वारा खारिज कर दिए जाते हैं। नहीं।

लागत "।

14. न्यायपीठ के विद्वान न्यायाधीशों द्वारा व्यक्त अलग-अलग राय को ध्यान में रखते हुए मामले को इन तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ के समक्ष रखा गया है। 15. श्री अजीत कुमार सिन्हा ने अपीलार्थी की ओर से वरिष्ठ वकील का पक्ष लेते हुए अपनी दलील में माननीय न्यायाधीश की राय का उल्लेख किया और उस पर भरोसा किया

अपील की अनुमति दें। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अधिनियम, 1993 को लघु उद्योगों की रक्षा के लिए लाभकारी कानून के रूप में अधिनियमित किया गया था। अधिनियम, 1993 आपूर्ति पर केंद्रित है और आपूर्ति के लिए समझौते की तारीख की कोई प्रासंगिकता नहीं है। अधिनियम, 1993 के बाद आपूर्ति प्रभावित होने की स्थिति में अधिनियम आपूर्तिकर्ताओं को लागू करता है और उनकी रक्षा करता है। विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि भले ही आपूर्ति के आदेश 23.09.1992 से पहले जारी किए गए थे।

शांति कंडक्टर (पी) लिमिटेड। वी. असम राज्य विद्युत बोर्ड [अशोक भूषण, जे.]

अधिनियम के बाद आपूर्ति की गई है। अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं और अपीलार्थी स्पष्ट रूप से विलंबित भुगतान पर ब्याज का हकदार था। वह प्रस्तुत करता है कि इस न्यायालय द्वारा पुरबनचल केबल्स एंड कंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड के फैसले में व्यक्त किया गया विपरीत विचार करता है अधिनियम, 1993 के प्रावधानों की सही व्याख्या नहीं करना। वह प्रस्तुत करता है कि

प्रासंगिक बात यह है कि आपूर्तिकर्ताओं को देय राशि और यदि आपूर्तिकर्ता को देय राशि अधिनियम, 1993 के बाद आती है तो विलंबित भुगतान पर ब्याज का भुगतान करने की देयता खरीदार पर निर्धारित की जाती है।

16. यह अधिनियम एक अध्यादेश द्वारा लाया गया था। यह अधिनियम अधिनियम, 1993 से पहले की किसी भी पिछली अवधि के लिए नहीं बल्कि अधिनियम, 1993 के प्रवर्तन के बाद की देय राशि पर लागू होता है। अधिनियम, 1993 में संभावित है

आवेदन और यह अपीलार्थी का मामला नहीं है कि अधिनियम का कोई पूर्वव्यापी संचालन है।

श्री पाटिल ने श्री सिन्हा की दलीलों को स्वीकार करते हुए आगे कहा कि अपीलार्थी द्वारा 2001 की एसएलपी (सी) No.12217 को वापस नहीं लिया जाएगा।

चूक के मामले में बकाया धन पर ब्याज के भुगतान के लिए अनिवार्य प्रावधान। वह प्रस्तुत करता है कि ब्याज का भुगतान भी वाणिज्यिक लेन-देन एक अवधारणा थी जो पहले से ही कई वैधानिक प्रावधानों में निहित थी। अधिनियम, 1993 द्वारा खरीदार को आपूर्तिकर्ताओं की राशि को रोकने से रोकने के लिए विलंबित भुगतान पर ब्याज के भुगतान के अलावा कुछ भी नया नहीं किया गया था।

कंडक्टर (पी) लिमिटेड ने अधिनियम, 1993 के प्रावधानों की सही व्याख्या की है। जब अधिनियम, 1993 के प्रवर्तन से पहले आपूर्ति का अनुबंध किया गया था, तब इस अधिनियम का कोई अनुप्रयोग नहीं है। वह प्रस्तुत करता है कि शांति कंडक्टरों द्वारा दायर मुकदमे को समय से रोक दिया गया था। अपीलार्थी के मामले के अनुसार 04.10.1993 पर देय राशि, सीमा 04.11.1993 से चलने लगेगी और मुकदमा तीन साल के भीतर दायर नहीं किया गया है। सीमा द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। वह प्रस्तुत करता है कि अधिनियम, 1993 का लाभ अपीलार्थी को नहीं दिया जा सकता है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि अपीलकर्ता पुरबनचल केबल्स और [2019] 1 एस. सी. आर. में इस न्यायालय के फैसले से बाध्य था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कंडक्टर (पी) लिमिटेड दिनांक 10.07.2012 के उक्त निर्णय द्वारा बोर्ड द्वारा दायर अपील जिसमें शांति कंडक्टर भी प्रतिवादी थे, का निर्णय लिया गया है। अपीलार्थी दिनांकित 10.07.2012 के निर्णय से बाध्य हैं और उक्त निर्णय में जो अभिनिर्धारित किया गया है, उस पर अपीलार्थी द्वारा सवाल नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि निर्णय अंतर-पक्षीयों के लिए बाध्यकारी है।

19. वह आगे प्रस्तुत करता है कि स्वीकार्य रूप से पूरी मूल राशि का भुगतान अपीलार्थी को 04.10.1993 द्वारा किया गया था, इसलिए यह केवल ब्याज के लिए उपयुक्त है।

रखरखाव योग्य नहीं था।

20. श्री हंसारिया असम लघु उद्योग विकास निगम में इस न्यायालय के निर्णय प्रस्तुत करते हैं। लिमिटेड और अन्य बनाम।

जे. डी. फार्मास्युटिकल्स और एक अन्य, (2005) 13 एस. सी. सी. 19, शक्ति ट्यूब्स लिमिटेड बनाम। बिहार राज्य और अन्य, (2009) 7 एस. सी. सी. 673, मॉडर्न इंडस्ट्रीज बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, (2010) 5 एस. सी. सी. 44, साथ ही साथ पूर्वांचल केबल्स और अन्य मामलों में इस न्यायालय का निर्णय।

कंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अधिनियम में कोई नहीं है प्रवर्तन से पहले किए गए अनुबंधों के संबंध में प्रयोज्यता

अधिनियम के अनुसार, उक्त कानून जो काफी लंबे समय से स्थापित कानून है, को इस न्यायालय द्वारा अस्थिर करने की आवश्यकता नहीं है। पुरबनचल केबल्स में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए, अपीलार्थी की अपील को गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया है।

21. श्री पाटिल के निवेदन का जवाब देते हुए, श्री हंसारिया प्रस्तुत करते हैं कि जब इस न्यायालय द्वारा एसएलपी को 06.08.2001 पर खारिज कर दिया गया था बोर्ड की अपील को अनुमति देने वाले उच्च न्यायालय के दिनांक 05.04.2001 के फैसले के लिए, इस न्यायालय ने आगे की स्वतंत्रता नहीं दी है, यह इसके लिए खुला नहीं है

23. प्रत्युत्तर में श्री ए. के. सिन्हा ने श्री हंसारिया की दलीलों का खंडन किया है। वह प्रस्तुत करता है कि इस न्यायालय का निर्णय पुरबनचल केबल्स न्यायिक आधार पर काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 10.07.2012 पर जिस अपील पर निर्णय लिया गया था, वह केवल पूर्ण पीठ के संदर्भ के खिलाफ थी। पूर्ण पीठ ने केवल कानूनी प्रश्नों का उत्तर दिया, उच्च न्यायालय में अपील अभी भी लंबित है और कोई निर्णय नहीं हुआ है।

शांति कंडक्टर (पी) लिमिटेड। वी. असम राज्य विद्युत बोर्ड [अशोक भूषण, जे.]

अपील में विलय के सिद्धांत को आकर्षित नहीं किया जाएगा। श्री सिन्हा, हालांकि, प्रस्तुत करते हैं कि मुकदमा सीमितता से बाधित नहीं था। अपीलार्थी को अंतिम भुगतान 05.03.1994 पर किया गया था, अपीलार्थी द्वारा 10.01.1997 पर दायर किया गया मुकदमा सीमा के भीतर था। 24. श्री पाटिल ने जवाब में कहा कि समीक्षा याचिका में पारित आदेश एक आदेश है जो आंशिक रूप से समीक्षा याचिका को अनुमति देता है

अपीलार्थी द्वारा दायर अपील कार्रवाई के अलग कारण पर है और इस न्यायालय द्वारा 06.08.2001 पर पारित पूर्व आदेश योग्यता के आधार पर अपील पर निर्णय लेने के रास्ते में नहीं आएगा।

25. पक्षों के विद्वान वकीलों ने विभिन्न बातों पर भरोसा किया है

इस न्यायालय के निर्णय जिनका पक्षकारों की दलीलों पर विचार करते समय उल्लेख किया जाएगा।

26. हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील की दलीलों पर विचार किया है और इस न्यायालय के दो माननीय न्यायाधीशों द्वारा C.A.Nos.8442-8443 में दी गई अलग-अलग राय पर विचार किया है। 2016 .

27. पक्षकारों के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुतियों और अभिलेख पर अभिवचनों से हमें निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता है

ये अपीलें:

(1) क्या अधिनियम, 1993 लागू नहीं होता है जब प्रवर्तन से पहले पक्षों के बीच आपूर्ति का अनुबंध किया गया था

अधिनियम का अर्थात 23.09.1992?

(2) क्या यह पाया जाता है कि अधिनियम, 1993 से पहले किए गए अनुबंध के संबंध में भी अधिनियम लागू होता है, जिसके अनुसरण में अनुबंध, आपूर्ति के प्रवर्तन के बाद किया गया था

अधिनियम, 1993, अधिनियम, 1993 को पूर्वव्यापी कहा जा सकता है।

ऑपरेशन?

(3) क्या मेसर्स के लिए पैसा उपयुक्त है। शांति कंडक्टरों को प्रतिबंधित कर दिया गया था

सीमा से?

(4) क्या पुरबनचल केबल्स में इस न्यायालय का निर्णय दिनांकित है

31.08.2016 जिसके द्वारा मेसर्स की अपील। शांति कंडक्टरों को भी खारिज कर दिया गया था जो पक्षों यानी एम/एस के बीच बाध्यकारी है। शांति कंडक्टर और असम विद्युत बोर्ड और अपीलार्थी

इनमें उक्त निर्णय पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

अपील?

19] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(5) क्या अपीलकर्ताओं द्वारा केवल ब्याज की वसूली के लिए दायर किया गया मुकदमा जब स्वीकार किया जाता है कि पूरी मूल राशि का भुगतान पहले किया गया था

मुकदमा दायर करने को बनाए रखने योग्य कहा जा सकता है?

(6) क्या मैसर्स ट्रस एंड टावर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपील दायर की गई है। लि.

19.03.2003 दिनांकित समीक्षा निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती है

क्योंकि इस न्यायालय द्वारा कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई थी

2001 का एसएलपी (सी) No.12217 जब उच्च न्यायालय के दिनांक 05.04.2001 के मुख्य फैसले के खिलाफ दायर एसएलपी को खारिज कर दिया गया था

वापस ले लिया?

(7) क्या उच्च न्यायालय समीक्षा याचिका पर विचार करते समय नं. 75 2001 मेसर्स ट्रस एंड टावर्स प्रा. लि. लिमिटेड यह व्यक्त करने के बाद भी कि अधिनियम, 1993 लागू नहीं है, अनुमति दे सकता था

9 % वादी को ब्याज?

28. इससे पहले कि हम इनमें उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर विचार करें

अपील अधिनियम, 1993 के प्रावधानों को नोटिस करना आवश्यक है। संसद में भारत सरकार ने लघु उद्योगों पर एक नीतिगत बयान दिया। यह भी घोषणा की गई कि खरीदारों द्वारा लघु औद्योगिक इकाइयों को शीघ्र धन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कानून बनाया जाएगा। लघु और सहायक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित भुगतान पर ब्याज अध्यादेश, 1992 राष्ट्रपति द्वारा 23.09.1993 पर घोषित किया गया था। अध्यादेश के स्थान पर, लघु और सहायक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित भुगतान पर ब्याज अधिनियम, 1993 संसद में पेश किया गया था। अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण प्रचलित स्थिति और विधान में मांगे गए उपचारात्मक उपायों पर काफी प्रकाश डालता है। उद्देश्यों के कथन और कारणों में निम्नलिखित देखा गया थाः

" 2 .

छोटे पैमाने या सहायक में अपर्याप्त कार्यशील पूंजी

औद्योगिक उपक्रम गंभीर और स्थानिक समस्याओं का कारण बनते हैं।

इस तरह के उपक्रम के स्वास्थ्य को प्रभावित करना। इस क्षेत्र के उद्योग भी मांग करते रहे हैं कि इस क्षेत्र में पर्याप्त उपाय किए जाएं।

इस संबंध में। लघु उद्योग बोर्ड, जो एक शीर्ष है

लघु औद्योगिक इकाइयों से संबंधित नीतियों पर सलाहकार निकाय

सभी राज्यों, सरकारी निकायों और औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भी इस विचार को व्यक्त किया। इसलिए यह महसूस किया गया कि खरीदारों द्वारा धन का शीघ्र भुगतान वैधानिक रूप से सुनिश्चित किया जाना चाहिए और आई/एस पर ब्याज के भुगतान के लिए अनिवार्य प्रावधान किए जाने चाहिए।

शांति कंडक्टर (पी) लिमिटेड। वी. असम राज्य विद्युत बोर्ड [अशोक भूषण, जे.]

चूक के मामले में बकाया राशि जमा की जानी चाहिए। यदि कानून के तहत ब्याज का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, तो खरीदार छोटे और सहायक औद्योगिक उपक्रमों को भुगतान रोकने से बचेंगे।

29. अधिनियम, 1993 एक विशेष विधान है। अधिनियम की धारा 2 में प्रावधान है, इसके खंड (बी) ने निम्नलिखित में "नियत दिन" को परिभाषित किया हैः

एरः

" 2 ((ख) "नियत दिन" से स्वीकृति के दिन या किसी वस्तु या किसी सेवा की मानी हुई स्वीकृति के दिन से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद का दिन अभिप्रेत है।

आपूर्तिकर्ता से एक खरीदार; "

30. अधिनियम, 1993 की धारा 3 से 6 इस प्रकार हैंः

" खंड 3. भुगतान करने के लिए खरीदार की देयता। - जहाँ कोई

आपूर्तिकर्ता किसी भी वस्तु की आपूर्ति करता है या किसी भी खरीदार को कोई सेवा प्रदान करता है, खरीदार उसके लिए उसके और आपूर्तिकर्ता के बीच लिखित रूप में सहमत होने की तारीख को या उससे पहले भुगतान करेगा या जहां कोई भुगतान नहीं है।

नियत दिन से पहले इस संबंध में समझौताः बशर्ते कि किसी भी मामले में आपूर्तिकर्ता और खरीदार के बीच लिखित रूप में सहमत अवधि एक सौ से अधिक नहीं होगी और

स्वीकृति के दिन या मानित के दिन से बीस दिन

स्वीकृति।

खंड 4. किस तारीख से और किस दर पर ब्याज दिया जाता है

देय। - जहां कोई खरीदार धारा 3 के तहत आपूर्तिकर्ता को राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो खरीदार -

के बीच किसी भी समझौते में निहित कुछ भी होने के बावजूद

खरीदार और आपूर्तिकर्ता या कुछ समय के लिए लागू किसी भी कानून में, निर्धारित दिन से या, जैसा भी मामला हो, सहमति की तारीख के तुरंत बाद की तारीख से, आपूर्तिकर्ता को उस राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ली जाने वाली ऋण दर।

स्पष्टीकरण। - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "प्रधान ऋण दर" का अर्थ है भारतीय स्टेट बैंक की प्रधान ऋण दर।

जो बैंक के सर्वश्रेष्ठ उधारकर्ताओं के लिए उपलब्ध है।

खंड 5. चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करने के लिए खरीदार की देयता।

आपूर्तिकर्ता और खरीदार के बीच किसी भी समझौते में या उस समय लागू किसी भी कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, [2019] 1 एस. सी. आर.

खरीदार चक्रवृद्धि ब्याज (मासिक के साथ) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। ब्याज) धारा 4 में उल्लिखित दर पर देय राशि पर

आपूर्तिकर्ता।

धारा 6. देय राशि की वसूली।

(1) खरीदार से देय राशि, धारा 4 और 5 के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई ब्याज की राशि के साथ, आपूर्तिकर्ता द्वारा खरीदार से किसी भी तरह से वसूल की जाएगी। तत्काल किसी कानून के तहत किसी मुकदमे या अन्य कार्यवाही का

बल देते हैं।
(2) उप-धारा (1) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, विवाद का कोई भी पक्ष उद्योग संबद्धता का संदर्भ दे सकता है।

उस उप-धारा में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए परिषद और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के प्रावधान ऐसे विवाद पर लागू होंगे जैसे कि मध्यस्थता या सुलह निम्नलिखित के अनुसार थीः
धारा की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट मध्यस्थता समझौता

7 उस अधिनियम से।

31. धारा 3 भुगतान करने के लिए खरीदार की वैधानिक देयता पैदा करती है। वैधानिक दायित्व इस प्रभाव के लिए है कि जहां कोई आपूर्तिकर्ता आपूर्ति करता है

किसी भी माल को किसी भी खरीदार को, खरीदार भुगतान करेगा, उसके लिए उसके और आपूर्तिकर्ता के बीच लिखित रूप में सहमत होने की तारीख को या उससे पहले या जहां इस संबंध में कोई समझौता नहीं है, निर्धारित दिन से पहले। खरीदार पर निम्नलिखित तरीके से भुगतान करने के लिए वैधानिक दायित्व निर्धारित किया गया हैः

((i) उस तारीख को या उससे पहले जिस पर उसके और उसके बीच सहमति बनी हो।

लिखित रूप में आपूर्तिकर्ता, या

((ii) जहां नियुक्त किए जाने से पहले इस संबंध में कोई समझौता नहीं है।

एक दिन।

32. ' धारा 2 (ख) में परिभाषित 'नियुक्त दिवस' से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद का दिन अभिप्रेत है।

आपूर्तिकर्ता से किसी खरीदार द्वारा किसी वस्तु या किसी सेवा की स्वीकृति का दिन या मानित स्वीकृति का दिन। इस प्रकार, धारा 3 के अनुसार खरीदार को भुगतान करने के लिए वैधानिक दायित्व, यह नोटिस करने के लिए प्रासंगिक है

धारा 3 के तहत विचार की गई घटना "जहां कोई आपूर्तिकर्ता किसी भी वस्तु की आपूर्ति करता है या किसी भी खरीदार को कोई सेवा प्रदान करता है"। दायित्व की घटना माल की आपूर्ति या किसी भी सेवा को प्रदान करना है। अधिनियम स्पष्ट रूप से एम/एस है।

प्रकृति में संभावित और आपूर्ति और सेवा प्रदान करने की घटनाओं को नियंत्रित करेगा जो अधिनियम के प्रवर्तन के बाद होता है अर्थात 23.09.1992।

33. धारा 3 का दूसरा भाग "खरीदार भुगतान करेगा" है। जाहिर है, भुगतान का सवाल माल की आपूर्ति के बाद ही उठेगा या

34. हम पहले ही देख चुके हैं कि कानून बनाने का उद्देश्य और उद्देश्य खरीदार द्वारा शीघ्र धन का भुगतान करना था। अधिनियम, 1993 में ब्याज के भुगतान के अनिवार्य प्रावधानों को शामिल करके वैधानिक रूप से सुनिश्चित किया गया।

35. धारा 4 जो उस तारीख और दर से संबंधित है जिस पर ब्याज देय है। राशि का भुगतान करने का दायित्व

आपूर्तिकर्ता केवल तभी उत्पन्न होता है जब कोई खरीदार धारा 3 के तहत आवश्यकतानुसार भुगतान करने में विफल रहता है।

36. धारा 4 में आगे कहा गया है कि "खरीदार और आपूर्तिकर्ता के बीच किसी भी समझौते में या इसके लिए किसी भी कानून में निहित कुछ भी होने के बावजूद।

इस प्रकार, भले ही खरीदार और आपूर्तिकर्ता के बीच समझौते में यह खंड शामिल हो कि देर से भुगतान पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, ब्याज का भुगतान करने का दायित्व धारा 4 के आधार पर किसी भी अनुबंध की अवहेलना करके निर्धारित किया जाता है। क्या खरीदार और आपूर्तिकर्ता के बीच अनुबंध अधिनियम, 1993 के प्रवर्तन से पहले का है, यह भी न तो प्रासंगिक है और न ही सामग्री है और सामग्री यह है कि खरीदार धारा 3 के तहत आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने में विफल रहता है। इस प्रकार ब्याज का भुगतान करने का दायित्व तब उत्पन्न होता है जब धारा 3 के अनुसार भुगतान नहीं किया जाता है।

37. धारा 3 के तहत भुगतान करने का दायित्व और धारा 4 के तहत ब्याज का भुगतान करने का दायित्व समझौते की तारीख पर निर्भर नहीं है। आपूर्ति करने के लिए पक्षों के बीच। जब आपूर्ति और भुगतान का सवाल अधिनियम के तहत विचार की जाने वाली घटनाएं हैं जिन्हें [2019] 1 एस. सी. आर. लेना है।

जहां तक अधिनियम के तहत वैधानिक दायित्व का संबंध है, अधिनियम के प्रवर्तन के बाद पक्षों के बीच समझौते के दिन की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

38. इस न्यायालय के कई दो-न्यायाधीश पीठ निर्णय हैं जिनमें अधिनियम, 1993 के प्रावधान, विशेष रूप से धारा 3 और 4 के प्रावधान किए गए हैं।

व्याख्या की। अब हम इस न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख करते हैं जिनके पास है

उपरोक्त प्रावधानों पर विचार करें। पहला फैसला जो देखा गया है वह असम लघु उद्योग विकास निगम है। लि.

और अन्य बनाम। जे. डी. फार्मास्युटिकल्स और एक अन्य, (2005) 13 एस. सी. सी. 19. यह न्यायालय उपरोक्त निर्णय में निर्धारित करता है कि अधिनियम, 1993 उन लेन-देनों पर लागू नहीं होगा जो अधिनियम के प्रवर्तन से पहले हुए थे। पैराग्राफ 37 और 38 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः

" 37. हम इससे पहले यह मान चुके हैं कि नियम और शर्तों का खंड 8 शेष 10 प्रतिशत के भुगतान से संबंधित है। यह विवाद में नहीं है कि वादी ने निगम से मूल राशि और ब्याज दोनों की मांग की थी। 1993 के अधिनियम की धारा 3 खरीदार पर किसी भी माल की आपूर्ति के लिए सहमति की तारीख को या उससे पहले या जहां निर्धारित दिन से पहले कोई समझौता नहीं है, भुगतान करने का वैधानिक दायित्व लगाती है। केवल तभी भुगतान किया जाता है जब धारा 3, धारा 4 के संदर्भ में भुगतान नहीं किया जाता है

आवेदन करेंगे। 1993 का अधिनियम 23.9.1992 से प्रभावी हुआ और यह उन लेनदेनों पर लागू नहीं होगा जो पहले हुए थे। उस तारीख तक। हम पाते हैं कि 71 सूट लेनदेन में से, क्र. सं. नं. 1 26 तक (विचारण न्यायालय के निर्णय के अंतिम पैरा में निर्दिष्ट), अर्थात 5.6.1991 से 28.7.1992 के बीच आपूर्ति आदेश, 1993 के अधिनियम के लागू होने की तारीख से पहले थे। केवल एस. एल. पर लेन-देन। नहीं। 27 71 तक (यानी 22.10.1992 से के बीच आपूर्ति आदेश)

19.6.1993) . 1993 के अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित करेगा।

38. इस प्रकार, 1993 के अधिनियम का जून, 1991 और 23.9.1992 के बीच किए गए लेन-देन के संबंध में कोई अनुप्रयोग नहीं होगा। अतः विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने 23 प्रतिशत की दर से ब्याज के भुगतान का निर्देश देने में एक स्पष्ट त्रुटि की।

उन, 1991 और उसके बाद 23.5% "।

39. उपरोक्त निर्णय में उपयोग किए गए 'लेन-देन' शब्द में आपूर्ति शामिल होनी चाहिए, यदि लेनदेन शब्द को आपूर्ति के रूप में समझा जाता है तो इस प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं हो सकता है कि अधिनियम से पहले की गई आपूर्ति के संबंध में अधिनियम लागू नहीं होगा।

एम/एस। शांति कंडक्टर (पी) लिमिटेड। वी. असम राज्य विद्युत बोर्ड [अशोक भूषण, जे.]

40. इस अदालत का अगला फैसला शक्ति ट्यूब्स लिमिटेड बनाम शक्ति ट्यूब्स लिमिटेड है। बिहार राज्य और अन्य, (2009) 7 एस. सी. सी. 673। उक्त मामले में शक्ति ट्यूब्स ने ब्याज के भुगतान के लिए मुकदमा दायर किया था। उपरोक्त मामले में, आपूर्ति

बिहार राज्य द्वारा 16.07.1992 पर आदेश दिए गए थे, अधिनियम, 1993 पर निर्भरता अपीलार्थी द्वारा रखी गई थी। उक्त मामले में यह भी देखा गया कि पहले के 16.07.1992 के आपूर्ति आदेश को भौतिक रूप से बदल दिया गया था और 18.03.1993 पर जारी एक नए आपूर्ति आदेश द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। असम लघु उद्योग मामले में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हुए,

दो-न्यायाधीश पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि उपरोक्त निर्णय का अनुपात स्पष्ट रूप से लागू होता है। पैराग्राफ 17,18 और 19 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया थाः

" 17. असम लघु उद्योग मामले में उक्त तथ्यों के आलोक में, निर्णय के पैराग्राफ 37 में यह दर्ज किया गया था कि जबकि अधिनियम 23 सितंबर, 1992 से लागू हुआ था, आपूर्ति आदेश केवल क्रम संख्या के संबंध में दिए गए थे। 1 26 तक

अधिनियम और शेष आपूर्ति आदेशों के प्रभाव में आने से तुरंत पहले, क्रम संख्या में आपूर्ति आदेश। 27 71 को 22.10.1992 से 19.06.1993 के बीच रखा गया था जो थे

अधिनियम के लागू होने की तारीख के बाद। उस संदर्भ में, निर्णय में यह स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया था कि अधिनियम के प्रारंभ से पहले हुए लेन-देन पर अधिनियम का कोई प्रभाव नहीं होगा। अगले वाक्य में न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि अभिव्यक्ति द्वारा क्या संदर्भित और समझा जाता है।

" लेन-देन "जब यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 71 लेन-देनों में से, क्रम संख्या। 1 26 तक, अर्थात 05.06.1991 से 28.07.1992 के बीच आपूर्ति आदेश 23 सितंबर, 1992 से पहले के हैं, जब अधिनियम लागू हुआ था, अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत परिकल्पित उच्च ब्याज का भुगतान नहीं किया जा सकता है और उक्त आपूर्ति आदेशों/लेनदेन के संबंध में मांग की जा सकती है। यह भी स्पष्ट किया गया था कि लेनदेन क्रम संख्या में किए गए थे। 27 71 तक केवल यानी 22.10.1992 से 19.06.1993 के बीच आपूर्ति आदेश अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित करेंगे।

इसलिए, वे आपूर्ति आदेश जो द्वारा जारी किए गए थे

22.10.1992 से 19.06.1993 के बीच निगम को ऐसे लेनदेन माना जाता था जो लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे

अधिनियम के प्रावधान।

18. हमारी सुविचारित राय में, असम लघु उद्योग मामले में उपरोक्त निर्णय का अनुपात स्पष्ट रूप से लागू होता है और

वर्तमान मामले के तथ्यों को भी स्पष्ट रूप से नियंत्रित करेगा। उक्त निर्णय इस न्यायालय द्वारा [2019] 1 एस. सी. आर. की सराहना करने के बाद दिया गया था।

पूरे तथ्यों के साथ-साथ इस मुद्दे पर सभी प्रासंगिक कानूनों और इसलिए, हमें इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय में जो लिया गया था, उससे अलग दृष्टिकोण रखने का कोई कारण नहीं मिलता है। इस प्रकार, हम इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय से सम्मानपूर्वक सहमत हैं जो पाया जाता है - सभी तथ्यों की सराहना करने के बाद सही तरीके से पहुंचे और

मामले की परिस्थितियाँ।

19. अब वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए हम पाते हैं कि इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि पाइपों की आपूर्ति के लिए उत्तरदाताओं को 16.07.1992 पर आपूर्ति आदेश दिया गया था, जो उस तारीख से पहले है जिस दिन यह अधिनियम लागू किया गया था।

यह लागू हुआ "।

41. पीठ ने इस न्यायालय के पहले के फैसले का उल्लेख करते हुए लघु उद्योग ने कहा कि अभिव्यक्ति का उपयोग

'सेक्शन' केवल आपूर्ति आदेश के लिए था। पैराग्राफ 21 में निम्नलिखित था

अपनाः

" 21. हमने उपरोक्त प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है। असम लघु उद्योग मामले में इस अदालत ने अंततः यह कहते हुए उठाए गए मुद्दे पर विराम लगा दिया है कि उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए आपूर्ति आदेश की तारीख को प्रासंगिक माना जाना चाहिए और

जब इस न्यायालय ने "लेन-देन" अभिव्यक्ति का उपयोग किया तो इसका मतलब केवल एक आपूर्ति आदेश था। न्यायालय ने निर्णय के अनुच्छेद 37 में इसे स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दिया जिसे हम पहले ही निकाल चुके थे। हमारे देश में

माना जाता है कि इस न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय में कोई अस्पष्टता नहीं है। अधिनियम का आशय और उद्देश्य, जैसा कि निर्णय के अनुच्छेद 37 में किया गया है, काफी स्पष्ट और स्पष्ट है। जब इस न्यायालय ने कहा कि "लेन-देन" का अर्थ था

लेन-देन अर्थात आपूर्ति आदेश देना और न कि

लेन-देन का पूरा होना जो भुगतान होने पर ही पूरा होगा। इसलिए, अपीलार्थी-वादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया निवेदन

विफल हो जाता है। "

42. न्यायालय ने आगे कहा कि अनुच्छेद 31 में अनुबंध में न तो कोई बदलाव किया गया था और न ही अनुबंध में कोई बदलाव किया गया था।

पंखों का प्रभावः

" 31. अन्यथा भी, हमारा विचार है कि वर्तमान मामले में न तो अनुबंध में कोई बदलाव किया गया था और न ही अनुबंध में कोई बदलाव किया गया था। आई/एस के बीच पत्राचार।

शांति कंडक्टर (पी) लिमिटेड। वी. असम राज्य विद्युत बोर्ड [अशोक भूषण, जे.]

पक्षों ने स्पष्ट रूप से खुलासा किया कि उत्तरदाताओं द्वारा आपूर्ति आदेश जारी करने के बाद, अपीलकर्ता-वादी ने आपूर्ति आदेश के संदर्भ में पाइप की आपूर्ति नहीं की और उसने मुख्य रूप से माल की कीमत में वृद्धि के लिए आग्रह किया। इसके बाद, उन्होंने मूल्य वृद्धि खंड पर भरोसा किया और पाइपों की कीमत में वृद्धि के लिए कहा। 43. अगला निर्णय हम देखते हैं आधुनिक उद्योग बनाम इस्पात।

लॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, (2010) 5 एस. सी. सी. 44. उद्देश्य पर ध्यान दें

अधिनियम, 1993 का उद्देश्य पैराग्राफ 23 में निम्नलिखित देखा गया थाः

" 23. 1998 में संशोधित 1993 के अधिनियम के पीछे का उद्देश्य और उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खरीदार तुरंत राशि का भुगतान करे। आपूर्ति की गई वस्तुओं या उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के कारण

आपूर्तिकर्ता। यह चूक के मामले में बकाया धन पर वैधानिक रूप से ब्याज का भुगतान करने का भी प्रावधान करता है। धारा 3, तदनुसार, आपूर्ति की गई वस्तुओं के लिए भुगतान करने के लिए खरीदार पर दायित्व निर्धारित करता है

या सहमत तिथि पर या उससे पहले खरीदार को प्रदान की गई सेवाएं

लिखित रूप में या नियत दिन से पहले और जब कोई नहीं होता है लिखित रूप में सहमत होने की तारीख, नियत दिन से अधिक नहीं होगी

120 स्वीकृति के दिन से।

44. न्यायालय ने इन दलीलों में से एक पर भी विचार किया था कि अधिनियम, 1993 के तहत केवल ब्याज की वसूली बनाए रखने योग्य नहीं है।पीठ ने इस मुद्दे का जवाब देते हुए कहा कि मुकदमा ब्याज के लिए भी बनाए रखने योग्य है। निम्नलिखित अनुच्छेद 45-46 में निर्धारित किया गया थाः

" 45. यह सच है कि 'एक साथ' शब्द का अर्थ आमतौर पर संयुक्त रूप से या एक साथ होता है, लेकिन उक्त शब्द पर रखा गया यह सामान्य अर्थ धारा 6 के संदर्भ में उपयुक्त नहीं हो सकता है। क्या यह कहा जा सकता है कि

धारा 6 में उप-धारा (1) के तहत वाद या किसी अन्य कानूनी कार्यवाही के माध्यम से या उप-धारा (2) के तहत आई. एफ. सी. को संदर्भित करके विचार की गई कार्रवाई केवल तभी कायम रखी जा सकती है जब वह धारा 4 और 5 के अनुसार ब्याज के साथ मूल राशि की वसूली के लिए हो और नहीं

केवल ब्याज के लिए? जवाब नकारात्मक होना चाहिए।

46.हम असम राज्य में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को मंजूरी देते हैं।

विद्युत बोर्ड (2002) 2 जी. एल. आर. 550 धारा 6 (1) में 'एक साथ' शब्द का अर्थ 'साथ' या 'साथ-साथ' होगा। इस प्रकार देखा गया कि धारा 6 (2) के तहत कार्रवाई मूलधन की वसूली के लिए की जा सकती है।

राशि और ब्याज या केवल ब्याज के लिए जहां देयता स्वीकार की जाती है

या आपूर्ति की गई वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में विवादित रहा है प्रस्तुत किया गया। हमारी राय में, धारा 6 (2) के तहत [2019] 1 एस. सी. आर. के माध्यम से कार्रवाई।

आई. एफ. सी. के संदर्भ को धारा 4 और 5 के तहत देय ब्याज की वसूली के दावे तक सीमित नहीं रखा जा सकता है, केवल मौजूदा निर्धारित, निपटान या स्वीकृत दायित्व के मामलों में। आई. एफ. सी. के पास क्षमता है

आपूर्ति की गई वस्तुओं या प्रदान की गई सेवाओं के लिए देय राशि का निर्धारण उन मामलों में करें जहां खरीदार द्वारा देयता विवादित है। खरीदार के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा धारा 6 (2) पर किया गया निर्माण स्वीकार किए जाने के योग्य नहीं है क्योंकि यह 1993 के अधिनियम के इरादे, उद्देश्य और उद्देश्य के अनुरूप नहीं होगा। 1993 के अधिनियम की प्रस्तावना, जिस पर विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा मजबूत निर्भरता रखी गई है, हमें अन्यथा रखने के लिए राजी नहीं करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रस्तावना अधिनियम के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाती है; अधिनियम प्रस्तावना से परे जा सकता है।

45. उपरोक्त मामले में भी अनुबंध 15.01.1993 पर दर्ज किया गया था लेकिन अनुबंध को बाद में बदल दिया गया था। अंतिम परिवर्तन चालू है

29.04.1995 इसलिए पीठ ने इस दलील को खारिज कर दिया कि अधिनियम, 1993 लागू नहीं था।

जिस पर बोर्ड की अपील को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निर्भरता रखी गई है। बोर्ड के विद्वान वकील ने भी उक्त निर्णय पर बहुत अधिक भरोसा किया है। 47. उपरोक्त मामले में, बोर्ड ने 16.09.1992 पर माल की डिलीवरी के लिए दिनांक 31.03.1992 का आदेश दिया। इसके अलावा, 25.9.1992 और 30.03.1993 के बीच आपूर्ति की गई थी। आई. डी. 1 पर पूरी आपूर्ति पूरी हो गई थी और अक्टूबर, 1993 तक पूरा भुगतान प्राप्त हो गया था। आपूर्तिकर्ता ने अधिनियम, 1993 के तहत विलंबित भुगतान पर ब्याज के भुगतान के लिए धन मुकदमा दायर किया। जिन मुद्दों का उत्तर दिया जाना है, उन्हें अनुच्छेद 10 में नोट किया गया है

निर्णय जो निम्नलिखित प्रभाव का हैः

" 10.इन अपीलों में हमारे द्वारा जिन मुद्दों का उत्तर दिया जाना आवश्यक है, वे हैं कि क्या अधिनियम के प्रावधानों के तहत ब्याज के लिए मुकदमा बनाए रखा जा सकता है, और क्या यह अधिनियम उन अनुबंधों पर लागू होगा जो अधिनियम के प्रारंभ से पहले संपन्न हुए हैं। दूसरे शब्दों में, हमें यह जांच करने की आवश्यकता है कि क्या यह अधिनियम उन अनुबंधों पर लागू होगा जो अधिनियम के प्रारंभ से पहले किए गए थे लेकिन आपूर्ति प्रभावी थी

अधिनियम के लागू होने के बाद "। एम/एस।

शांति कंडक्टर (पी) लिमिटेड। वी. असम राज्य विद्युत बोर्ड [अशोक भूषण, जे.]

48. ब्याज के लिए मुकदमे की रखरखाव के सवाल पर,

पीठ ने कहा कि आपूर्तिकर्ता केवल खरीदार द्वारा भुगतान में देरी पर उच्च ब्याज दर के लिए मुकदमा दायर कर सकता है।

एक्ट करें। पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम, 1993 एक मूल कानून होने के कारण यह संभावित रूप से कार्य करेगा। पैराग्राफ 51 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः

" 51. इस तथ्य के बारे में कोई संदेह नहीं है कि यह अधिनियम मौलिक है।

उच्च ब्याज दर की पात्रता के निहित अधिकारों के रूप में कानून

आपूर्तिकर्ता के पक्ष में विलंबित भुगतान का मामला और संबंधित दायित्व खरीदार पर लगाया जाता है। यह अदालत, समय

और फिर से, यह देखा है कि कोई भी मूल कानून काम करेगा

संभावित रूप से जब तक कि पूर्वव्यापी संचालन स्पष्ट रूप से नहीं किया जाता है

कानून की भाषा में। केवल एक प्रक्रियात्मक या घोषणात्मक

कानून पूर्वव्यापी रूप से काम करता है क्योंकि इसमें कोई निहित अधिकार नहीं है। प्रक्रिया "।

49. न्यायालय ने आगे कहा कि अधिनियम, 1993 केवल लागू होगा।

अधिनियम के प्रारंभ की तारीख के बाद बिक्री समझौतों के लिए और किसी भी समय पहले नहीं। पैराग्राफ 52 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः

" 52. के किसी भी स्पष्ट विधायी इरादे के अभाव में

अधिनियम के खिलाफ ब्याज की उच्च दर का एक नया दायित्व बनाता है खरीदार, अधिनियम का पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं माना जा सकता है।

चूँकि अधिनियम में यह परिकल्पना की गई है कि आपूर्तिकर्ता का उपार्जित अधिकार है -

अधिनियम के संदर्भ में उच्च ब्याज दर का दावा करें, वही कर सकते हैं

केवल तिथि के बाद बिक्री समझौतों के लिए जमा होने के लिए कहा जाता है

अधिनियम का प्रारंभ अर्थात 23-9-1992 और किसी भी समय पहले नहीं।

" 9

50. पीठ ने विद्वानों के निवेदन को भी स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया

आपूर्तिकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि असम लघु उद्योग और शक्ति ट्यूबों में इस न्यायालय के पहले के फैसलों की आवश्यकता है

विचार करें। मुकदमे की सीमा के सवाल पर कोई अंतिम राय व्यक्त नहीं की गई थी। अंततः पीठ ने अपीलों को खारिज कर दिया।

मुद्दा संख्या 1

51. पुरबनचल केबल्स में इस न्यायालय का निर्णय और

कंडक्टर्स प्रा. लिमिटेड असम लघु उद्योग पर निर्भर है और

शक्ति ट्यूब्स ने निर्धारित किया था कि अधिनियम, 1993 को बिक्री समझौतों के संबंध में लागू नहीं किया जा सकता है जो अधिनियम के प्रवर्तन से पहले किए गए थे और अधिनियम को केवल बिक्री [2019] 1 एस. सी. आर. के लिए लागू किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिनियम के प्रवर्तन के बाद किए गए समझौते।

हालांकि असम लघु उद्योग और शक्ति ट्यूबों में निर्णय लेने के लिए पुरबनाचल केबल्स में प्रयास किया गया था, लेकिन इस पर पुनर्विचार किया गया। पुरबनचल केबल्स में समन्वय पीठ ने किसी भी अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

आपूर्ति, आपूर्तिकर्ता और खरीदार के बीच या नियत दिन से पहले सहमति के दिन या उससे पहले। धारा 3 के अनुसार ए और बी दोनों को भुगतान नहीं किया गया था। क्या वह खरीदार जिसने आपूर्तिकर्ता ए से आपूर्ति प्राप्त की है, धारा 4 के साथ पठित धारा 3 के तहत ब्याज का भुगतान करने के लिए अपने वैधानिक दायित्व से बच सकता है? इसका जवाब नहीं होना चाहिए। दो आपूर्तिकर्ता जो अधिनियम के प्रवर्तन के बाद माल की आपूर्ति करते हैं, अधिनियम के प्रवर्तन के बाद भुगतान प्राप्त करने के हकदार हो जाते हैं-एक आपूर्तिकर्ता को बहाने पर वैधानिक संरक्षण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। उनके मामले में वह समझौता अधिनियम के प्रवर्तन से पहले किया गया था। जब समझौते की तारीख को दायित्व को निर्धारित करने के लिए सामग्री या घटना के रूप में संदर्भित नहीं किया जाता है, तो किसी भी न्यायिक व्याख्या के बिना उक्त तिथि को दायित्व को निर्धारित करने की तारीख के रूप में माना जा सकता है। अधिनियम, 1993 छोटे पैमाने के उद्योगों की रक्षा के लिए अधिनियमित लाभकारी कानून है और विद्वान वकील द्वारा दी गई व्याख्या को स्वीकार करते हुए बकाया धन पर ब्याज के भुगतान के लिए अनिवार्य प्रावधान द्वारा वैधानिक रूप से सुनिश्चित करता है।

बोर्ड के लिए कि समझौते का दिन एम/एस के बाद होना चाहिए।

शांति कंडक्टर (पी) लिमिटेड। वी. असम राज्य विद्युत बोर्ड [अशोक भूषण, जे.]

अधिनियम के प्रवर्तन में, अधिनियम के संपूर्ण लाभकारी संरक्षण को विफल कर दिया जाएगा। वैधानिक दायित्व का अस्तित्व वैधानिक दायित्व पर निर्भर करता है।

अधिनियम, 1993 की धारा 3 और धारा 4 में उल्लिखित कारक। धारा 3 के तहत भुगतान करने के लिए देयता का कारक आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी भी वस्तु की आपूर्ति या खरीदार को सेवाएं प्रदान करना है, खरीदार के दायित्व को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि आपूर्ति के लिए पक्षों के बीच किया गया समझौता अधिनियम, 1993 से पहले का था। यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि भुगतान के लिए खरीदार का दायित्व केवल तभी उत्पन्न होगा जब अधिनियम के प्रवर्तन के बाद आपूर्ति के लिए समझौता किया गया था, यह धारा 3 में शब्द जोड़ना होगा जो वैधानिक निर्माण के सिद्धांतों के तहत अनुमेय नहीं है। इस प्रकार, हमारा विचार है कि पूर्वांचल केबल्स एंड कंडक्टर (उपरोक्त), असम लघु उद्योग और शक्ति में निर्णय

अधिनियम का प्रवर्तन, सही कानून निर्धारित नहीं करता है। हम अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुति को स्वीकार करते हैं कि भले ही अधिनियम के प्रवर्तन से पहले बिक्री का समझौता किया जाता है, धारा 3 के तहत भुगतान करने का दायित्व और धारा 4 के तहत ब्याज का भुगतान करने का दायित्व उत्पन्न होगा यदि आपूर्ति अधिनियम के प्रवर्तन के बाद की जाती है।

मुद्दा संख्या 2

54. न्यायमूर्ति गौड़ा की दिनांक 31.08.2016 की राय हालांकि यह मानती है कि अधिनियम पूर्वव्यापी नहीं है, लेकिन वह अधिनियम को पूर्वव्यापी मानते हैं। वह शब्द। ब्लैक लॉ डिक्शनरी में पूर्वव्यापी को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया हैः

" रेट्रोएक्टिव। ए. जी. (17(ग) (किसी कानून, निर्णय, आदि का) अतीत में हुए मामलों के दायरे या प्रभाव में विस्तार। -इसे पूर्वव्यापी भी कहा जाता है। सी. एफ. संभावना (1)। - रेट्रोएक्ट, वीबी "।

55. दो-स्टेट बैंक के कर्मचारी संघ (मद्रास सर्कल) बनाम भारत संघ और अन्य मामलों में इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ। , (2005) 7 एससीसी 584, पूर्वव्यापी और पूर्वव्यापी की अवधारणा की जांच करने का अवसर मिला। निर्णय के पैराग्राफ 20 और 21 में निम्नलिखित निर्धारित किया गया हैः

" 20. न्यायिक शब्दकोश (13 वां संस्करण) के. जे. अय्यर, बटरवर्थ, पी. 857 , यह बताता है कि "पूर्वव्यापी" शब्द का उपयोग जब किया जाता है,

लेन-देन; या (iii) अर्जित अधिकारों और उपचारों को प्रभावित करना; या (iv) प्रक्रिया को प्रभावित करना। शब्द और वाक्यांश, स्थायी संस्करण। , खण्ड. 37 - ए, पीपी। 224-25 , एक "पूर्वव्यापी या पूर्वव्यापी कानून" को परिभाषित करता है जो मौजूदा कानूनों के तहत अर्जित निहित या अर्जित अधिकारों को छीन लेता है या बाधित करता है। एक पूर्वव्यापी कानून मौजूदा कानूनों के तहत अर्जित निहित अधिकारों को छीन लेता है या बाधित करता है, या एक नया दायित्व बनाता है, एक नया कर्तव्य लगाता है, या पहले से ही लेनदेन या विचारों के संबंध में एक नई अक्षमता को जोड़ता है।

21. पी. रामनाथ अय्यर के एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन (तीसरा संस्करण, 2005) में पृष्ठ 4124 Vol.4 पर "पूर्वव्यापी" और "पूर्वव्यापी" अभिव्यक्तियों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है।

' 'रेट्रोएक्टिविटी' एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग अक्सर वकीलों द्वारा किया जाता है लेकिन शायद ही कभी परिभाषित किया जाता है। विश्लेषण पर यह जल्द ही स्पष्ट हो जाता है, इसके अलावा, कि इसका उपयोग कम से कम दो अलग-अलग अवधारणाओं को शामिल करने के लिए किया जाता है। पहला, जिसे 'वास्तविक पूर्व सक्रियता' कहा जा सकता है, एक अधिनियम या लेनदेन के लिए कानून के एक नए नियम के अनुप्रयोग में शामिल है जो नियम के लागू होने से पहले पूरा किया गया था। दूसरी अवधारणा, जिसे 'अर्ध-पूर्व सक्रियता' के रूप में संदर्भित किया जाएगा, तब होती है जब किसी कार्य या लेनदेन को पूरा करने की प्रक्रिया में कानून का एक नया नियम लागू किया जाता है। इन अवधारणाओं की नींव पूर्ण और लंबित लेनदेन के बीच का अंतर है। (टी. सी. हार्टले, द फाउंडेशन ऑफ यूरोपियन कम्युनिटी लॉ 129 (1981)।

*

पूर्वदृष्टि-पीछे मुड़कर देखना; अतीत के बारे में सोचना। पिछले समय से ऑपरेशन होना।

एम/एस। शांति कंडक्टर (पी) लिमिटेड। वी. असम राज्य विद्युत बोर्ड [अशोक भूषण, जे.]

' 'रेट्रोस्पेक्टिव' कुछ हद तक अस्पष्ट है और इस तथ्य के कारण काफी भ्रम पैदा हुआ है कि इसका उपयोग एक से अधिक इंद्रियों में किया जाता है। तथापि सामान्य रूपसँ न्यायालय सभ कोनो कानूनकेँ पूर्वव्यापी मानैत अछि जे अपन आरम्भसँ पूर्व अस्तित्वमे आबि रहल मामिलाक अथवा तथ्यक आधार पर एहि अर्थमे काज करैत अछि जे ई भविष्यक लेल एकर चरित्र अथवा परिणामकेँ प्रभावित करैत अछि।

पूर्व में या अन्य पिछले आचरण में किए गए लेनदेन। इस प्रकार, एक क़ानून केवल इसलिए पूर्वव्यापी नहीं है क्योंकि यह मौजूदा कानून को प्रभावित करता है। अधिकार; और न ही यह केवल इसलिए पूर्वव्यापी है क्योंकि इसकी कार्रवाई के लिए आवश्यकता का एक हिस्सा एक समय और अतीत से इसके पारित होने तक खींचा गया है। (Vol.44 हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, चौथा संस्करण, पृष्ठ 570

पैरा 921) "

56. आगे जय महाकाली रोलिंग मिल्स बनाम भारतीय संघ और अन्य, 2007 (12) एस. सी. सी. 198 में, पूर्वव्यापी और पूर्वव्यापी निम्नलिखित की व्याख्या की गई हैः

" 8. " "पूर्वव्यापी" का अर्थ है पीछे मुड़कर देखना, अतीत पर विचार करना, किसी क़ानून या विचाराधीन क़ानून से पहले मौजूद चीजों का संदर्भ होना। पूर्वव्यापी कानून का अर्थ है एक ऐसा कानून जो

पीछे की ओर देखता है या अतीत पर विचार करता है; एक, जो लागू होने से पहले होने वाले कार्यों या तथ्यों, या होने वाले अधिकारों को प्रभावित करने के लिए बनाया जाता है। प्रतिगामी क़ानून का अर्थ है एक क़ानून, जो लेन-देन या विचारों पर एक नया दायित्व बनाता है या निहित अधिकारों को नष्ट या बाधित करता है।

57. कानून के संदर्भ में पूर्व सक्रियता में एक अधिनियम या लेन-देन के लिए कानून के नए नियम का अनुप्रयोग शामिल है जो पूरा हो चुका है।

नियम घोषित होने से पहले।

और 4 किसी भी घटना पर संबंधित नहीं है जो अधिनियम, 1993 से पहले हुई थी, हमारे लिए यह कहना भी आवश्यक नहीं है कि अधिनियम, 1993 में पूर्वव्यापी है ऑपरेशन। अधिनियम, 1993 स्पष्ट रूप से लागू होने की संभावना है और इसे लागू होने में पूर्वव्यापी कहना आवश्यक नहीं है। हम, इसलिए, सदस्यता नहीं लेते हैं।

यह अभिनिर्धारित करते हुए कि अधिनियम, 1993 पूर्वव्यापी है, माननीय न्यायाधीशों में से एक की दिनांकित राय पर।

मुद्दा संख्या 3

क्या पैसा सूट नहीं करता है। 21 अपीलार्थी द्वारा दायर 1997 का अधिनियम समय द्वारा वर्जित है, जो हमारे सामने उठाए गए मुद्दों में से एक है।

19] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

59. अभिलेख पर अभिवचनों से यह पता चलता है कि दो आपूर्ति आदेश दिनांक 31.03.1992 और 13.05.1992 अपीलार्थी को जारी किए गए थे

चालकों की आपूर्ति। याचिका में, अपीलार्थी ने आपूर्ति आदेश की तारीख और विभिन्न दुकानों पर आपूर्ति किए जाने की तारीख का विवरण दिया था। अपीलार्थी द्वारा की गई आपूर्ति अधिनियम के प्रवर्तन से पहले यानी 23.09.1992 और अधिनियम के प्रवर्तन के बाद दोनों थी। 60. उपरोक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए केवल 23.09.1992 के बाद प्राप्त आपूर्ति ही 1993 के अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक हैं। अभिलेख पर अभिवचनों के अनुसार अपीलार्थी द्वारा पूरी आपूर्ति 04.10.1993 पर पूरी की गई थी। शिकायत में भुगतान का विवरण भी दिया गया है जो इंगित करता है कि अंतिम भुगतान दिनांक 05.03.1994 प्राप्त हुआ था।

वाद के पैराग्राफ 24 में मुकदमे के लिए कार्रवाई के कारण का विवरण दिया गया है जिसमें कहा गया है कि मुकदमे के लिए कार्रवाई का कारण 31.03.1992 पर उत्पन्न हुआ और उसके बाद अलग-अलग तारीख को पैराग्राफ 24 में उल्लिखित अंतिम तिथि 05.10.1993 थी और उसके बाद की प्रत्येक तारीख। परिसीमा के संबंध में वाद के अनुच्छेद 21 में विशिष्ट अभिवचन है जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः -

" 21. कि वादी और प्रतिवादियों के बीच लेन-देन को वादी द्वारा लेखा पुस्तकों जैसे खाता बही, बिक्री रजिस्टर आदि में विधिवत बनाए रखा जाता है, जो वादी के व्यवसाय के सामान्य क्रम में रखे जाते हैं और वादी और प्रतिवादियों के बीच के खाते निरंतरता में हैं और प्रतिवादियों द्वारा वादी को देय ब्याज आज तक जारी है। इस प्रकार वादी का मुकदमा समय के भीतर हो जाता है। इसके अलावा प्रावधानों को देखते हुए सीमा अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

अधिनियम, 1993 में निहित है क्योंकि 1993 का अधिनियम सीमा अधिनियम और अन्य सभी अधिनियमों पर प्रबल प्रभाव डाल रहा है।

61. प्रतिवादियों द्वारा लिखित बयान दायर किया गया था जिसमें बयान याचिका के पैराग्राफ 4 में लिखित बयान लिया गया था कि मुकदमा है

सीमा द्वारा प्रतिबंधित। ट्रायल कोर्ट ने अपने दिनांकित 02.02.2000 के फैसले में उन मुद्दों पर ध्यान दिया है जिन्हें तैयार किया गया था, जो मुद्दों में से एक है यानी इश्यू नं। 2 "क्या इस मुद्दे को सीमा द्वारा बाधित किया गया था"। मुद्दा नं. की पूरी चर्चा। 2 विचारण न्यायालय द्वारा निम्नलिखित प्रभाव पड़ता हैः -

" मुद्दा संख्या 2: -

प्रतिवादी द्वारा दिया गया आपूर्ति आदेश सं। 2 वादी द्वारा बहिष्करण-6 और 7 के रूप में प्रदर्शित किया गया था। माल की आपूर्ति एम/एस की गई थी।

शांति कंडक्टर (पी) लिमिटेड। वी. असम राज्य विद्युत बोर्ड [अशोक भूषण, जे.]

चालानों को 8 से 37 और 69 से 71 और 73 के रूप में प्रदर्शित किया गया था। डिलीवरी 21.06.92 पर शुरू हुई और 23.03.93 पर समाप्त हुई। बिलों को एक्सट-38 से 55 और एक्सट-60 से 68 के माध्यम से उठाया गया था। वादी ने बिल राशि की प्राप्ति से इनकार नहीं किया था। बिल एक्सएक्सटी-55 को 02.01.93 पर और बिल एक्स-68 को 18.12.93 पर उठाया गया था। यह लघु और सहायक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित भुगतान पर ब्याज के प्रावधान के तहत एक मामला है और उक्त अधिनियम की धारा 10 निम्नलिखित प्रभाव डालती हैः

" 10. ओवर राइडिंग प्रभावः - इस अधिनियम के प्रावधान

है।

तत्काल प्रभाव से संबंधित किसी अन्य कानून में कुछ भी असंगत होने के बावजूद।

इसलिए, धारा 10 ने इस प्रकार के मामलों में सीमा की याचिका को हटा दिया है। तो मुद्दा नहीं। 2 के पक्ष में भी निर्णय लिया जाता है

वादी।

62. ट्रायल कोर्ट ने कहा कि अधिनियम, 1993 की धारा 10 के आधार पर सीमा की याचिका को हटा दिया जाता है और मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित नहीं है। 2000 के आर. एफ. ए. सं. 66 में उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दायर प्रतिवादी ने पूर्ण पीठ का संदर्भ दिया था। पूर्ण पीठ ने अपने दिनांकित 05.03.2002 के आदेश में सीमा के प्रश्न पर विचार या निर्णय नहीं लिया है।

63. संदर्भ का जवाब देते हुए उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के दिनांकित 05.03.2002 के फैसले के खिलाफ, असम राज्य विद्युत बोर्ड ने

इस न्यायालय में 2003 की सिविल अपील संख्या 2351 के रूप में अपील दायर की गई। इस न्यायालय ने 2003 की सिविल अपील No.2351 के साथ 2003 की सिविल अपील संख्या 2348 पर 10.07.2002 पर निर्णय लिया जो निर्णय पुरबनचल केबल्स है और

कंडक्टर (पी) लिमिटेड (सुप्रा)। इस न्यायालय ने पैराग्राफ 31 में राज्य विद्युत बोर्ड के लिए विद्वान वकील के निवेदन पर ध्यान दिया है कि दोनों आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दायर मुकदमों को समय पर रोक दिया गया था, लेकिन इस न्यायालय ने कोई राय व्यक्त नहीं की। निर्णय का अनुच्छेद 31 निम्नलिखित के लिए है।

प्रभावः -

" 31. हालांकि विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि अपीलों के वर्तमान बैच में दोनों आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दायर किए गए मुकदमों को सीमा द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। हम व्यक्त करने का इरादा नहीं रखते हैं इस मुद्दे पर विचार, क्योंकि
द्वारा दायर कुछ अपीलें

आपूर्तिकर्ता अभी भी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं।

कोई

भी [2019] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हम जो अवलोकन कर सकते हैं वह निश्चित रूप से प्रभावित करेगा दोनों पक्षों का हित क्योंकि उस मुद्दे पर अभी फैसला होना बाकी है

उच्च न्यायालय द्वारा "।

64. इस न्यायालय के दिनांक 10.07.2012 के फैसले के बाद जब मामले उच्च न्यायालय में वापस चले गए, तो खंड पीठ ने आर. एफ. ए. का फैसला किया।

66 2000 का दिनांक 20.11.2012 के विवादित निर्णय द्वारा। डिवीजन बेंच ने विवादित फैसले में फैसले के पैराग्राफ 5 में मुद्दों और सीमाओं पर प्रस्तुतियों पर ध्यान दिया है। पैराग्राफ 22 में, असम राज्य विद्युत बोर्ड की ओर से प्रस्तुतियों पर ध्यान दिया गया है, जबकि अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा दिया गया जवाब

निर्णय के पैराग्राफ 22,24,25 और 26 में ध्यान दिया गया है जो इस प्रकार हैंः -

" 22. फिर भी चुनौती का एक और आधार, श्री दास, विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा इस अपील की सुनवाई के समय आगे बढ़ाया गया, यह है कि विद्वान निचली अदालत ने गलत तरीके से अभिनिर्धारित किया है कि मुकदमा सीमा से बाधित नहीं था और इस संबंध में, संदर्भ

विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा 1993 के अधिनियम की धारा 10 में किया गया कथन पूरी तरह से गलत है क्योंकि धारा 10 केवल यह निर्धारित करती है कि 1993 के अधिनियम के प्रावधान किसी अन्य कानून में निहित कुछ भी असंगत होने के बावजूद प्रभावी होंगे।

वर्तमान में लागू होने के लिए।

24. इस सवाल के संबंध में कि क्या 1993 का अधिनियम वर्तमान अनुबंध पर लागू होगा और क्या मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ए. के. सिन्हा ने कहा है कि यह विवाद में नहीं है कि वादी-उत्तरदाताओं के बकाया का भुगतान ए. एस. ई. बी. द्वारा 05.03.1994 के रूप में देर से किया गया था और ऐसी परिस्थितियों में, सीमा की अवधि शुरू हुई, वर्तमान मामले में, से प्रभावी

05.03.1994 और मुकदमा, पर स्थापित किया गया है

10.01.1997 , श्री ए. के. सिन्हा प्रस्तुत करते हैं कि यह स्पष्ट है कि मुकदमा इस अवधि के भीतर स्थापित किए गए मुकदमे के रूप में माना जाना चाहिए।

सीमा। इसके अलावा, यह श्री सिन्हा, विद्वान वरिष्ठ वकील का निवेदन है कि 06.09.1994 पर, असम कंडक्टर

मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने एक रिट याचिका दायर की थी, जिसने एसोसिएशन के अपने पांच नामित सदस्यों की ओर से 1993 के सिविल नियम संख्या 1531 को जन्म दिया, जिसमें मैसर्स शांति कंडक्टर (यानी वर्तमान मुकदमे में वादी) और हाई आई/एस शामिल थे।

शांति कंडक्टर (पी) लिमिटेड। वी. असम राज्य विद्युत बोर्ड [अशोक भूषण, जे.]

अदालत ने अपने आदेश, दिनांक 06.09.1994 के माध्यम से, रिट याचिकाकर्ता को अपने सदस्यों के बकाया की वसूली के लिए सिविल कोर्ट का रुख करने का निर्देश दिया, जिसके बाद एसोसिएशन ने तुरंत 1994 की रिट अपील No.474 दायर की, जिसे अंततः 28.08.1997 पर खारिज कर दिया गया।

25. श्री सिन्हा के अनुसार, ऐसी स्थिति में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 14 (2) बहुत महत्वपूर्ण है।

सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 14 (2) की प्रासंगिकता में यह प्रावधान है कि किसी भी मुकदमे के लिए सीमा की अवधि की गणना करने में, जिस समय के दौरान आवेदक किसी अन्य दीवानी कार्यवाही पर उचित परिश्रम के साथ मुकदमा चला रहा था, उक्त अवधि को बाहर रखा जाना चाहिए। सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 2 (ए) के तहत एक आवेदक श्री सिन्हा बताते हैं कि

इसमें शामिल हैं: (1) याचिकाकर्ता; और (II) एक व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से एक आवेदक आवेदन करने का अपना अधिकार प्राप्त करता है। इस प्रकार, यहाँ तक कि यह मानते हुए भी श्री सिन्हा तर्क देते हैं कि सीमा अधिनियम, 1963, उस अवधि को भी लागू करता है, जिसके दौरान रिट याचिका और उक्त एसोसिएशन की रिट अपील अन्य लोगों के अलावा, मैसर्स शांति कंडक्टरों की ओर से लंबित थी, उक्त अवधि, श्री सिन्हा तर्क देते हैं,

श्री सिन्हा दोहराते हैं कि सीमा अधिनियम की धारा 14 (2) के प्रावधानों के तहत बाहर किया जाना चाहिए और इस प्रकार, समय के भीतर मुकदमा दायर किया गया था।

26. सबसे बढ़कर, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सिन्हा बताते हैं कि अपीलकर्ताओं ने वर्तमान अपील में, सीमा के मुद्दे पर विद्वान निचली अदालत के फैसले को चुनौती नहीं दी है। इस संबंध में, अपील के ज्ञापन के माध्यम से अदालत को लेते हुए, जिसे अपीलकर्ताओं ने प्राथमिकता दी है, श्री सिन्हा, विद्वान वरिष्ठ वकील ने बताया है कि अपील का ज्ञापन पूरी तरह से मौन है और सीमा के मुद्दे पर विद्वान निचली अदालत के फैसले को नहीं उठाता है या चुनौती नहीं देता है। इसके अलावा, श्री सिन्हा बताते हैं कि पूर्ण पीठ ने संदर्भ का फैसला करते हुए अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा है

मान लीजिए कि मुकदमा अपीलार्थी बोर्ड द्वारा अंतिम भुगतान के तीन साल के भीतर किया गया था। पूर्ण पीठ की टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं: -

" अंतिम भुगतान के 3 साल के भीतर मुकदमा स्वीकार किया गया था।

अपीलार्थी बोर्ड द्वारा किया गया।

19] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

65. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि डिवीजन बेंच ने हालांकि इस सवाल पर दोनों पक्षों की दलीलों पर ध्यान दिया कि क्या मुकदमा दायर किया गया है।

परिसीमा द्वारा वर्जित किया गया था या नहीं, लेकिन खंड पीठ ने इस आधार पर अपील की अनुमति दी कि अधिनियम के प्रवर्तन से पहले आपूर्ति आदेश जारी किए गए थे। अधिनियम 1993 लागू नहीं है। डिवीजन बेंच ने इस बारे में कोई निष्कर्ष नहीं दिया कि मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित था या नहीं। यह निवेदन कि मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित है, हमारे सामने दबाया गया है। 66. श्री हंसारिया प्रस्तुत करते हैं कि अपीलकर्ता के अपने मामले के अनुसार आपूर्ति 04.10.1993 पर पूरी की गई थी, इसलिए, 1993 के अधिनियम की धारा 4 के अनुसार राशि और ब्याज एक महीने के बाद देय हो जाएगा अर्थात W. E. F. 04.11.1993। 04.11.1993 से 3 साल के भीतर मुकदमा दायर नहीं किया जाना स्पष्ट रूप से समय द्वारा वर्जित था।

67. विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि 1993 के अधिनियम की धारा 10 के आधार पर वाद समय द्वारा वर्जित नहीं है। 1993 के अधिनियम की धारा 10 इस प्रकार हैः -

" 10. प्रबल प्रभावः - इस अधिनियम के प्रावधानों में होगा -

इसके साथ कुछ भी असंगत होने के बावजूद प्रभाव उस समय लागू किसी अन्य कानून में निहित।

68. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, स्वयं वादी ने वाद किया है कि सीमा धारा 10 के आधार पर लागू नहीं होगी जो प्रस्तुत करती है।

ट्रायल कोर्ट द्वारा स्वीकार किया गया था। 1993 के अधिनियम की धारा 10 का प्रावधान "उस समय लागू किसी अन्य कानून में इसके साथ कुछ भी असंगत होने के बावजूद अधिनियम के प्रावधानों" को प्रबल प्रभाव देता है। अधिनियम के उन प्रावधानों को सर्वोपरि प्रभाव दिया गया जो अधिनियम में निहित थे। धारा 10 में प्रावधान किया गया है कि उस समय लागू किसी भी असंगत कानून पर अधिनियम के प्रावधानों को प्रबल प्रभाव दिया जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह था कि यदि अधिनियम के प्रावधानों के लिए किसी अन्य कानून में कुछ भी असंगत है, तो अधिनियम के प्रावधान प्रबल होंगे और किसी भी असंगत कानून पर हावी होंगे। उदाहरण के लिए, जब धारा 4 में विलंबित भुगतान पर विशेष दर पर ब्याज के भुगतान की आवश्यकता होती है, तो उक्त दर का किसी अन्य कानून में प्रदान की गई ब्याज दर पर अधिक प्रभाव पड़ेगा।

69. इसके अलावा, धारा 7 के अनुसार बिना देय राशि की वसूली के संबंध में पारित डिक्री या अन्य आदेश के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की जा सकती है।

राशि का 75 प्रतिशत जमा करना। इस प्रकार एक मुकदमे में यदि ब्याज देय राशि पर एक डिक्री पारित की जाती है, तो 75 प्रतिशत जमा करने के बाद या न्यायालय द्वारा पारित किसी अन्य आदेश के अनुसार अपील पर विचार किया जाना चाहिए। एम/एस का सामान्य अधिकार।

शांति कंडक्टर (पी) लिमिटेड। वी. असम राज्य विद्युत बोर्ड [अशोक भूषण, जे.]

अपील को 1993 के अधिनियम की धारा 7 के आधार पर ओवरराइड किया जाएगा। ट्रायल कोर्ट ने सीमा अधिनियम की धारा 10 में दिए गए ओवरराइडिंग प्रभाव को भी पढ़ने में गलती की। 1993 के अधिनियम में सीमा से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है, मुकदमा दायर करने से संबंधित सीमा अधिनियम का प्रावधान 1993 के अधिनियम के तहत कुछ भी विपरीत या अधिस्थापक नहीं होने के कारण जारी रहेगा। धारा 10 केवल 1993 के अधिनियम में निहित व्यक्त किए गए प्रावधानों के संबंध में काम करेगी, जिसे प्रबल प्रभाव दिया जाएगा, लेकिन धारा 10 को इस प्रभाव से पढ़ना कि यह सीमा अधिनियम को ओवरराइड करेगी, धारा 10 की सही व्याख्या नहीं है और निचली अदालत यह अभिनिर्धारित करने में धारा 10 पर भरोसा करने में त्रुटि में पड़ गई कि सीमा अधिनियम लागू नहीं होगा। 70. इस प्रकार हमारा विचार है कि सीमा अधिनियम, 1963 अपीलार्थी द्वारा दायर धन मुकदमे के संबंध में पूरी तरह से लागू होता है, इसलिए सीमा के प्रश्न का उत्तर सीमा अधिनियम 1963 के अनुसार दिया जाना चाहिए। 1993 के अधिनियम के तहत ब्याज की वसूली के लिए मुकदमे की सीमा प्रकृति का एक मुकदमा है जो अनुसूची के भाग X अनुच्छेद 113 के अंतर्गत आएगा जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः -

" भाग X-उन लोगों के लिए सूट जिनके लिए कोई निर्धारित नहीं है

पीरियाड

तीन।

जब

113. किसी भी सूट के लिए

जिसकी कोई अवधि नहीं है।

का अधिकार

वर्षों

सीमा है

मुकदमा करें

प्रदान किया गया

उपार्जित

इसमें कहीं और

अनुसूची "

71. अनुच्छेद 113 के तहत मुकदमा दायर करने के लिए सीमा शुरू करने की अवधि "तब शुरू होती है जब मुकदमा दायर करने का अधिकार प्राप्त होता है"। अब हमें यह पता लगाना होगा कि 1993 के अधिनियम के अनुसार वादी को मुकदमा करने का अधिकार कब प्राप्त होता है। 1993 के अधिनियम की धारा 4 उस तारीख और दर से संबंधित है जिस पर ब्याज देय है। धारा 4 में यह अभिव्यक्ति शामिल है कि

जहां "कोई भी खरीदार धारा 3 के तहत आपूर्तिकर्ता को आवश्यक राशि का कोई भुगतान करने में विफल रहता है. आपूर्तिकर्ता को उस राशि पर निर्धारित दिन या सहमति की तारीख के तुरंत बाद की तारीख से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।" दोनों पक्षों के बीच भुगतान की कोई सहमत तिथि नहीं है जैसा कि दोनों आपूर्ति आदेशों से स्पष्ट है जो रिकॉर्ड में हैं। इस प्रकार, भुगतान नियत दिन से देय हो जाएगा।

धारा 2 (डी) में नियुक्त दिवस को "[2019] 1 एस. सी. आर. के अगले दिन" के रूप में परिभाषित किया गया है।

किसी भी खरीदार या आपूर्तिकर्ता से किसी भी वस्तु या किसी भी सेवा की स्वीकृति की तारीख या मानी गई स्वीकृति के दिन से 30 दिनों की अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद। अपीलार्थी द्वारा यह निवेदन किया जाता है कि अंतिम आपूर्ति 04.10.1993 पर पूरी की गई थी। इस प्रकार, नियत दिन 04.11.1993 होगा। इस प्रकार जब देय राशि के संबंध में 04.11.1993 पर भुगतान नहीं किया गया था, तो धारा 4 के अनुसार ब्याज, मुकदमा दायर करने की सीमा शुरू हो जाएगी।

72. हम पहले ही मान चुके हैं कि आपूर्ति के संबंध में अधिनियम लागू होगा।

अधिनियम के प्रवर्तन की तारीख यानी 23.03.1992 के बाद बनाया गया। अंतिम

आपूर्ति

कम से कम 04.10.1993 पर 04.11.1993 से प्राप्त होने पर, यदि पहले नहीं, तो धारा 4 के तहत ब्याज की राशि देय हो जाएगी।

73. श्री सिन्हा ने कहा है कि अंतिम भुगतान कर दिया गया है

3 साल के भीतर दायर किए गए 05.03.1994 मुकदमे पर और 10.01.1997 पर दायर किया जा रहा मुकदमा 05.03.1994 से 3 साल के भीतर था और इसलिए समय के भीतर था। वह प्रस्तुत करता है कि अंतिम भुगतान 05.03.1994 पर होने के कारण भुगतान करने से इनकार को उसी दिन से माना जाना चाहिए और उसके बाद तीन साल के भीतर मुकदमा दायर किया जा सकता है।

74. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 113 "किस समय से" का प्रावधान करता है।

अवधि तब शुरू होती है जब मुकदमा करने का अधिकार प्राप्त होता है। 1993 अधिनियम की धारा 4 उस दिन से ब्याज का भुगतान करने के लिए वैधानिक दायित्व पैदा करती है जैसा कि इसमें उल्लेख किया गया है।

धारा 4 में भुगतान करने का दायित्व खरीदार पर निर्धारित किया गया है। भुगतान करने की देनदारी उत्पन्न होते ही राशि देय हो जाती है। धारा 6 में "खरीदार से देय राशि" शब्द का भी उपयोग किया गया है। देय राशि वह राशि है जो धारा 4 के तहत खरीदार द्वारा भुगतान की जानी है। इस प्रकार यह तथ्य कि अंतिम भुगतान 05.03.1994 पर किया गया था, सीमा की शुरुआत के लिए अवधि के रूप में नहीं माना जा सकता है और उस आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि मुकदमा समय के भीतर था।

75. श्री सिन्हा ने एक वैकल्पिक दलील दी थी कि वादी

सीमा अधिनियम की धारा 14 के तहत लाभ का हकदार था। एसोसिएशन के पांच मुख्य सदस्यों यानी असम कंडक्टर मैन्युफैक्चरर की ओर से 1993 के सिविल रूल नंबर 1531 को जन्म देने के बाद से

एसोसिएशन को उच्च न्यायालय में दायर किया गया था जिसने 06.09.1994 पर याचिकाकर्ता को अपने सदस्य के बकाया की वसूली के लिए सिविल कोर्ट जाने का निर्देश दिया था, इसलिए जिस अवधि के दौरान

रिट लंबित थी, उसे लाभ दिया जाना चाहिए। पैराग्राफ 24 में याचिका के अनुसार, रिट याचिका असम कंडक्टर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन द्वारा दायर की गई थी। मेसर्स शांति कंडक्टर (पी) लिमिटेड और एक अन्य, एसोसिएशन से अलग इकाई है।

एम/एस। शांति कंडक्टर (पी) लिमिटेड। वी. असम राज्य विद्युत बोर्ड [अशोक भूषण, जे.]

76. इस प्रकार हमारा विचार है कि वर्तमान मामले के तथ्यों में वादी द्वारा धारा 14 के लाभ का दावा नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार हम पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वादी द्वारा 1997 का धन मुकदमा संख्या 21 होने के कारण दायर किया गया मुकदमा समय द्वारा वर्जित था।

मुद्दा संख्या 4

77. अंक संख्या 3 का निर्णय करते समय हमने यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी द्वारा दायर धन वाद समय द्वारा वर्जित था, उपरोक्त मुद्दे पर कोई राय व्यक्त करना आवश्यक नहीं है।

अंक संख्या 5

78. इस प्रश्न पर कि क्या केवल ब्याज के लिए दायर किया गया मुकदमा बनाए रखने योग्य है, इस न्यायालय द्वारा विस्तार से विचार किया गया है। पैराग्राफ में

17 , निम्नलिखित को पुरबनचल केबल्स (सुप्रा) में निर्धारित किया गया हैः

" 17. गुवाहाटी उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का निर्णय जिसे आधुनिक उद्योगों में इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया है, हमारे समक्ष एक अपील में विवादित है। चूँकि इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने पहले ही केवल ब्याज के लिए एक मुकदमे की स्थिरता के संबंध में उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के आदेश को मंजूरी दे दी है, इसलिए वह प्रश्न अब समाकलन के लिए नहीं है।

इसलिए, आपूर्तिकर्ता अधिनियम के प्रारंभ से खरीदार द्वारा किए गए विलंबित भुगतान पर केवल उच्च ब्याज दर के लिए मुकदमा दायर कर सकते हैं।

79. 1993 के अधिनियम की धारा 6 में प्रावधान है कि "खरीदार से देय राशि, उसके अनुसार गणना की गई ब्याज राशि के साथ।

धारा 4 और 5 के प्रावधान के साथ वसूली योग्य होगा। धारा 6 में "राशि के साथ ब्याज की राशि" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है।

खरीदार से देय "। बोर्ड के लिए विद्वान वकील द्वारा दी गई व्याख्या यह है कि ब्याज की वसूली के लिए कार्यवाही केवल तभी की जा सकती है जब कोई राशि देय हो। वह प्रस्तुत करता है कि धारा 6 में उपयोग की जाने वाली देय राशि मूल राशि है। यदि हम बोर्ड के वकील द्वारा दी गई व्याख्या को स्वीकार करते हैं, तो खरीदार बहुत आसानी से भुगतान से दूर हो जाएगा

मूलधन राशि का भुगतान करने के बाद ही ब्याज मिलता है। यह व्याख्या 1993 के अधिनियम के उद्देश्यों को विफल कर देगी। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए ताकि अधिनियम के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके। इस प्रकार हम पुरबनचल केबल्स (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं कि केवल ब्याज की वसूली के लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा मुकदमा बनाए रखा जा सकता है।

19] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मुद्दा संख्या 6

80. बोर्ड के वकील का निवेदन है कि चूंकि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के दिनांक 15.04.2001 के फैसले के खिलाफ, S. L. P. No.12217

मेसर्स ट्रस एंड टावर्स द्वारा दायर 2001 का आदेश स्वतंत्रता प्राप्त किए बिना वापस ले लिया गया था, 2016 की सिविल अपील संख्या 8445 समीक्षा आदेश और दिनांकित 19.03.2003 के फैसले को चुनौती देने योग्य नहीं है। इस न्यायालय द्वारा 06.08.2001 पर पारित आदेश में, इस न्यायालय ने अपीलार्थी के इस निवेदन पर ध्यान दिया था कि अपीलार्थी समीक्षा में उच्च न्यायालय का रुख करेगा, जिसमें कहा गया है कि उसने यह दर्ज करने में त्रुटि की है कि "सभी बिलों का भुगतान इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले किया गया था"। समीक्षा याचिका में, समीक्षा को आंशिक रूप से 9 प्रतिशत की दर से ब्याज की अनुमति दी गई है, जिसके खिलाफ अपील दायर की गई है। समीक्षा निर्णय के अवलोकन से संकेत मिलता है कि उच्च न्यायालय ने कोई निष्कर्ष नहीं दिया है कि अधिनियम के प्रारंभ से पहले सभी बिलों का भुगतान नहीं किया गया था। 81. उच्च न्यायालय के खंड पीठ के फैसले के अवलोकन से संकेत मिलता है कि उच्च न्यायालय इस धारणा पर आगे बढ़ता है कि भले ही 1993 का अधिनियम लागू न हो, वादी की पात्रता पर समानता में विचार किया जा सकता है। जब समीक्षा दाखिल करने की स्वतंत्रता आधार पर प्राप्त की गई थी जैसा कि आदेश में देखा गया है, तो समीक्षा निर्णय पर उस आधार पर सवाल उठाया जा सकता है जिस पर समीक्षा की अनुमति दी गई थी।

82. डिवीजन बेंच के फैसले से यह संकेत नहीं मिलता है कि यह अपीलार्थी द्वारा तर्क दिए गए आधार पर आगे बढ़ता है और इस अदालत द्वारा 06.08.2001 पर नोटिस किया गया है। 9 प्रतिशत के ब्याज की अनुमति इस आधार पर दी गई थी कि 1993 अधिनियम लागू नहीं है और कहा गया है कि असम लघु उद्योग में इस अदालत के पहले के फैसले के आधार पर इक्विटी पर ब्याज की अनुमति है।

विकास निगम और अन्य बनाम जी. डी. औषधि और अन्य, 2005 (13) एस. सी. सी. 19. इस प्रकार हमारा विचार है कि समीक्षा निर्णय को चुनौती देने वाली वर्तमान अपील पर विचार नहीं किया जा सकता है। द.

जिस आधार पर अपीलार्थी समीक्षा निर्णय को चुनौती दे सकता है, वह आधार हो सकता है जिस पर समीक्षा दायर करने की स्वतंत्रता प्राप्त की गई थी। इस प्रकार हम मानते हैं कि 2016 की सिविल अपील संख्या 8445 विचारणीय नहीं है।

मुद्दा संख्या 7

क्या उच्च न्यायालय 2001 की पुनरीक्षण याचिका पर विचार करते समय (मेसर्स ट्रस एंड टावर्स प्राइवेट लिमिटेड)। लिमिटेड) यह व्यक्त करने के बाद भी कि अधिनियम 1993 लागू नहीं है, वादी को 9 प्रतिशत ब्याज की अनुमति दी जा सकती थी?

एम/एस। शांति कंडक्टर (पी) लिमिटेड। वी. असम राज्य विद्युत बोर्ड [अशोक भूषण, जे.]

83. उच्च न्यायालय ने अपने दिनांकित 19.03.2013 के फैसले में विलंबित भुगतान की अवधि के लिए प्रति वर्ष 9 प्रतिशत की दर से ब्याज की अनुमति दी। भले ही अधिनियम 1993 लागू न हो, न्यायालय ब्याज देने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का बहुत अच्छी तरह से प्रयोग कर सकता है। असम में लघु उद्योग विकास

निगम और अन्य बनाम जी. डी. औषधि और अन्य

(ऊपर), इस न्यायालय ने अनुच्छेद 40 में 1993 के अधिनियम के तहत ब्याज की वसूली के लिए दायर एक मुकदमे में प्रतिवादी के दावे पर विचार करते हुए 1993 के अधिनियम के लागू होने से पहले किए गए लेनदेन के संबंध में 9 प्रतिशत ब्याज की अनुमति दी है। अनुच्छेद 40 निम्नलिखित प्रभाव से हैः -

" 40. इसलिए, हमारी राय है कि उक्त अधिनियम के लागू होने से पहले किए गए लेन-देन के संबंध में, 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, जो संबंधित समय पर बैंक दर थी, मुकदमा दायर करने की तारीख से पहले और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 34 के संदर्भ में भविष्य के ब्याज के रूप में देय होगा। हालांकि, लागू होने के बाद किए गए लेन-देन के संबंध में 1993 के अधिनियम (23.5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज) के प्रावधानों के संदर्भ में ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

अधिनियम के अनुसार, वाद और विचाराधीन राशि की स्थापना की तारीख तक और प्राप्ति तक देय ब्याज के संबंध में। उस हद
तक निर्णय और डिक्री को संशोधित करने की आवश्यकता है।

इसे उसी के अनुसार निर्देशित किया जाता है।

84. उच्च न्यायालय ने वादी प्रतिवादी को 9 प्रतिशत ब्याज देने में कोई त्रुटि नहीं की। इस प्रकार हमें निर्णय में कोई त्रुटि नहीं मिली।

दिनांक 19.03.2013 वादी द्वारा दायर समीक्षा आवेदन को आंशिक रूप से अनुमति देता है।

2016 की सिविल अपील संख्या 8450

85. अब, हम 2016 की सिविल अपील संख्या 8450 पर आते हैं। अपीलार्थी ने रुपये की राशि की वसूली के लिए 1996 का धन मुकदमा संख्या 32 दायर किया है।

10,34, 065.23 पी। और रु. 23, 738.49 पी। आपूर्ति और जमा की गई प्रतिभूति की राशि और Rs.10,10,326.74 p की राशि के लिए बिलों के खिलाफ बकाया है। विलंबित ब्याज की राशि। विद्वत सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) ने अपने फैसले और दिनांक 30.09.2002 के आदेश के अनुसार रुपये की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया था। 5,46, 233.14 पी। अधिनियम, 1993 के लागू होने की तारीख से आई. डी. 1 तक और डिक्रीटल राशि पर भविष्य का ब्याज 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से

19.12.1993 से। प्रतिवादी द्वारा उच्च न्यायालय [2019] 1 एस. सी. आर. में अपील दायर की गई थी।

2003 का आर. एफ. ए. सं. 78 है, जिसे राशि और ब्याज की वसूली के लिए डिक्री को अलग रखते हुए 12.02.2015 पर अनुमति दी गई है, लेकिन रुपये की प्रतिभूति जमा की वापसी के दावे को बनाए रखा गया है। 23, 738.49 9 प्रतिशत ब्याज के साथ। उच्च न्यायालय ने पुरबनचल केबल्स एंड कंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड मामले में इस न्यायालय के फैसले का पालन किया। लिमिटेड (ऊपर)

अभिनिर्धारित किया कि लेन-देन के संबंध में, जो पहले हुआ था

23.09.1992 , 1993 का अधिनियम लागू नहीं होता है। अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के दिनांक 20.02.2015 के फैसले के खिलाफ अपील की है। अभिलेख पर अभिवचन से यह संकेत नहीं मिलता है कि अपीलार्थी द्वारा 1993 के अधिनियम के प्रवर्तन के बाद कोई आपूर्ति की गई थी। हम पहले ही यह मान चुके हैं कि केवल यह तथ्य कि आपूर्ति आदेश अधिनियम के प्रवर्तन से पहले जारी किए गए थे, 1993 के अधिनियम की प्रयोज्यता से इनकार नहीं करता है, यदि आपूर्ति अधिनियम के प्रवर्तन के बाद की गई है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि अधिनियम के प्रवर्तन के बाद कोई आपूर्ति की गई थी ताकि अपीलार्थी को 1993 के अधिनियम की धारा 4 के साथ पठित धारा 3 के तहत ब्याज का दावा करने में सक्षम बनाया जा सके, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय के फैसले को इस अपील में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

86. हस्तक्षेप आवेदनों पर विचार नहीं किया जाता है। 87. नतीजतन, सभी अपीलें खारिज कर दी जाती हैं।

देविका गुजराल

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।